रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18—सितम्बर 24, 2010 (भाद्रपद 27, 1932)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 18—SEPTEMBER 24, 2010 (BHADRA 27, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 2010

सं. सी.-ई एक्स/ई-III/16 (7)/2000/डब्ल्यू बी/सीई/ई ज़ैड--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उप धारा (4) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस. चटर्जी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या ई-102 (19) ई/ए दिनांक 17.10.1957 द्वारा मैसर्स जय जूट एवं इंडस्ट्रीज लिमिटेड इकाई नुडिया जूट मिल्स, डब्ल्यू बी/36 एवं 47, जिनका पंजीकृत कार्यालय कंथाल पाड़ा, पोस्ट ऑफिस नैहाती, जिला 24 परगना (उत्तर), पिन कोड 743165 में स्थित है, मेरे समक्ष प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, पर्याप्त कारणों से जोकि मैं उचित समझता हूँ, को प्रदत्त छूट इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से निरस्त करता हूँ।

एस. चटर्जी
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टॉफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं संबंधी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अंतर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिए आवश्यक उपायों पर, आयोग द्वारा नियमन-2010

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग

नई दिल्ली-110002, दिनांक 30 जून 2010

सं. एफ 3-1/2009--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (3-वर्ष 1956) के अनुभाग 26 की धारा (ई) एवं (जी)-जोकि इस अनुभाग (i) के अंतर्गत है-तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय अधिसूचना संख्या एफ-1-1/2008 आई.सी. दिनांक 30 अगस्त, 2008 के अनुसार तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1--32/2006 यू.-II/यू.-I(1) जो 31 दिसम्बर, 2008 को जारी की गई तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी वे नियमन (जो कि विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध संस्थानों में स्थित शिक्षकों की नियुक्तियों एवं कैरियर पदोन्नति के लिए) वर्ष 2000 और जो नियमन सं. 3-1/2000 (पी.एस.) दिनांक 4 अप्रैल, 2000 का है--और जिनमें समय-समय पर जो भी संशोधन किए जाते रहे हैं-इन समस्त को और इन समस्त के प्रतिस्थापन के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नलिखित नियमों का गठन किया गया है। इनका निम्नलिखित स्वरूप है :--संक्षिप्त उपाधि, अनुप्रयोग एवं प्रारम्भ

1.1 यह नियमन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन 2010 के रूप में जाने जाएंगे। (जिनके अंतर्गत उच्च शिक्षा के मानकों का अनुरक्षण एवं वे समस्त उपाय सम्मिलित हैं जोकि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिणिक स्टॉफ की नियुक्ति से सम्बद्ध, न्यूनतम अर्हताओं से जुड़े हुए हैं।)

1.2 ये समस्त नियमन, ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होंगे, जोकि केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिनियम के तहत् अथवा प्रादेशिक नियम के तहत् अथवा किसी अन्य अधिनियम द्वारा स्थापित अथवा निगमित हुआ है-अथवा ऐसा संस्थान, जिसमें कि कोई भी संघटक अथवा संबद्ध महाविद्यालय जोकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य है तथा यह समस्त नियमन उस सम्बद्ध विश्वविद्यालय के परामर्श एवं धारा (एफ) तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुभाग-2 अधिनियम, 1956 के अनुसार, ऐसे प्रत्येक संस्थान पर लागू होंगे जोकि उपरोक्त अधिनियम के अनुभाग-3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय के रूप में विद्यमान है।

1.3 ये समस्त नियमन तुरन्त प्रभावी रूप से लागू होंगे :--

बशर्ते कि एक ऐसी स्थिति में जिसमें कि ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जोकि कैरियर पदोन्नति योजना के अंतर्गत इन नियमनों के अनुरूप, 31 दिसम्बर, 2008 को अथवा इसके पश्चात् प्रोन्नति का पात्र हो जाता है-तो उस दशा में ऐसे अभ्यर्थी की प्रोन्नति इन नियमनों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी।

और भी, बशर्ते कि इन नियमनों में सम्मिलित प्रावधानों के होने के बावजूद भी, यदि किसी स्थिति में कोई अभ्यर्थी कैरियर पदोन्नति योजना के अंतर्गत, 31 दिसम्बर, 2008 से पूर्व ही पात्र बन जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी की कैरियर पदोन्नति योजना के अंतर्गत होनी वाली प्रोन्नति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमन, 2000 (जो नियमन अनिवार्यत: आवश्यक हैं-ऐसे शिक्षकों की नियुक्तियों एवं कैरियर पदोन्नति के लिए जोकि विश्वविद्यालय में अथवा संबद्ध संस्थनों में स्थित हैं।), जोकि इस संदर्भ में समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के द्वारा संशोधित किए जाते रहे हैं, उनको साथ मिलाकर इन नियमनों का अवलोकन करें।

2. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों, लाइब्रेरियनों, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के निदेशक के लिए जो नियुक्तियों से जुड़ी न्यूनतम अर्हताएं हैं तथा जो अन्य सेवा शर्तें हैं-उन सबको उच्च शिक्षा के अनुरक्षण के साधन रूप में माना जाएगा और ये सारी शर्तें-इन नियमनों के संलग्नक में उल्लिखित के अनुसार होंगी।

3. यदि किसी स्थिति में विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसाओं का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है-तो उसके परिणामत: जो स्थिति आएगी उसका स्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुभाग (14) के प्रावधानों के अनुसार तय होगा :--

यदि, कोई विश्वविद्यालय, अनुभाग (12-ए) के उल्लिखित प्रावधानों के उल्लंघन द्वारा किसी महाविद्यालय को किसी, अध्ययन वाले पाठ्यक्रम के लिए सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान करता है अथवा किसी भी उपयुक्त अन्तराल के भीतर, अनुभाग-12 अथवा अनुभाग-13 जोकि आयोग द्वारा निर्धारित अनुशंसाओं के प्रावधान हैं-उनका अनुपालन करने में यदि असमर्थ रहता है, अथवा उपधारा (2) के अंतर्गत लगाई गई शर्त जोकि इन अनुभागों के अंतर्गत उपधारा (1) के तहत् निर्मित किसी भी नियम की अवहेलाना करने वाली हैं-तो आयोग द्वारा उस अवहेलना के कारण पर विचार करने के पश्चात्-जिस कारण से विश्वविद्यालय नियमों के पालन में असमर्थ रहा है अथवा उसकी अवहेलना हुई है-तो उस स्थिति में आयोग द्वारा ऐसे किन्हीं अनुदानों को रोक दिया जा सकता है-जन्हें आयोग की निधि में से प्रदान किए जाने का पूर्व में प्रस्तावित किया गया था।

एन. ए. काज़मी

सचिव

परिशिष्ट

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित विनियम, जो कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षको एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ की न्यूनतम अर्हताओं के लिए तथा उच्च शिक्षा–2010 के मानकों की देखरेख के उपायों के संबंध में हैं।

इन विनियमों को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों, लाइब्रेरियनों, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद निदेशकों की नियुक्तियों के संबंध में उनकी न्यूनतम अर्हताओं एवं अन्य सेवाशर्तों के लिए तथा उच्च शिक्षा के मानकों का अनुरक्षण करने और वेतनमानों के संशोधनों के लिए जारी किया गया है।

1.0 कवरेज

1.1.1 जो शिक्षक–कृषि एवं पशु चिकित्सा विज्ञान संकायों में हैं, उनके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मानदण्ड/नियमन लागू होंगे, चिकित्सा, नर्सिंग और आयुष के संकायों में स्थित शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, के मानदण्ड/नियमन लागू होंगे; शिक्षा संकाय के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के परामर्श से निर्मित मानदण्ड/नियमन लागू होंगे।

इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, फार्मेसी एवं प्रबन्धन/व्यवसाय प्रशासन के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के परामर्श से मानदण्ड/नियमन लागू होंगे; और पुनर्वास के क्षेत्र में, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री–पी.जी. डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अर्हताएँ, मानदण्ड/नियमन –जिनका परामर्श अखिल भारतीय पुर्नवास परिषद् द्वारा किया जाएगा–वे ही लागू होंगे।

2.0.0 वेतनमान, वेतन निर्धारण फार्मूला एवं सेवानिवृत्ति आयु आदि

2.1.0 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, जिन संशोधित वेतनमानों के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में अनुरक्षित एवं/अथवा निधियन किया जाता है जिनमें अन्य सेवा शर्तें जिनमें सेवानिवृत्ति आयु की शर्त भी शामिल है–यह पक्की तौर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार ही लागू होगा। (**परिशिष्ट–I** में सम्मिलित)

2.2.0 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विकसित "वेतन निर्धारण सूत्र" जिसे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है (जैसा कि परिशिष्ट–II में सम्मिलित है।), वह वेतनमान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों मे लागू रहेगा।

2.3.0 समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एवं उनके अधीनस्थ महाविद्यालयों में तथा ऐसे समस्त सम विश्वविद्यालय, जिनका अनुरक्षण व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उठाया जाता है–वहाँ पर स्थित पुस्तकालयों में तथा शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विभागों में स्थित शिक्षकों के लिए वेतन निर्धारण का वही फ़ार्मूला लागू रहेगा जो फ़ार्मूला अन्य सामान्य शिक्षकों के लिए है।

2.3.1 जैसा कि धारा 2.1.0 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है–संशोधित वेतनमान एवं सेवानिवृत्ति आयु–इन शर्तों को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयो एवं उच्च शिक्षण संस्थानों तक विस्तारित किया जाएगा–ऐसे संस्थान जो कि राज्यों के विधानों के विचार क्षेत्र में आते हैं–बशर्ते कि इस योजना को संयुक्त रूप से लागू किया जाए–जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचनाओं के समर्थन में हों। इन अधिसूचनाओं को परिशिष्ट–I में एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र सं0 1–7/2010–यू.–II दिनांक 11.05.2010 में उल्लिखित है–और जो समस्त शर्तें प्रस्तुत नियमनों व अन्य दिशा–निर्देशों में विशिष्टीकृत हुई हैं।

2.3.2 कुछ शिक्षक, जो सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें अनुबन्धात्मक नियुक्ति पर पुनः सेवारत किया जा सकता है–जो कि सम्बद्ध विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थान के नियमानुसार होगा–और ऐसी नियुक्ति 70 वर्ष की आयु तक सीमित होगी। ये समस्त नियुक्तियाँ, रिक्त स्थानों की उपलब्धता एवं ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों की शारीरिक स्वस्थता पर निर्भर होंगी।

बशर्ते कि ऐसी रागस्त पुनः नियुक्तियाँ, तथ्यात्मक तौर से, उन समस्त दिशा–निर्देशों के अनुसार होंगी–जो कि समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते रहे हैं।

2.3.3 ऐसे कुछ आयाम जो कि इन नियमनों में सम्मिलित नहीं हुए हैं–जैसे अनुप्रयुक्तता, वित्तीय सहायता, संशोधित वेतन एवं भत्तों को लागू करना तथा शेष बकाया रकम का भुगतान किया जाना आदि–ऐसी समस्त बातों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचनाओं में अभिव्यक्त (परिशिष्ट–I) के तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र संख्या 1–7/2010–यू.–II दिनांक 11.05.2010 के समान ही होंगे।

3.0.0 सेवाओं में भर्ती किया जाना एवं अर्हताएँ

3.1.0 सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों पर प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किया जाना–यह बात, उस विज्ञापन पर जो कि अखिल भारतीय स्तर पर किया गया है तथा नियमित रूप से गठित चयन समिति द्वारा किए गए चयन पर निर्भर रहेगा–साथ ही इन नियमनों के अधीनस्थ होगा, जो नियमन उस सम्बद्ध

विश्वविद्यालय के अध्यादेशों/नियमों में समाविष्ट किए जाने हैं। इस प्रकार की समितियों का गठन उसी रूप में किया जाना चाहिए जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन नियमनों में निर्धारित किया गया है।

3.2.0 इन सभी पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही मानी जाएँगी जिन्हें इन नियमनों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है—इन पदों का नाम है— सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर एवं प्रोफेसर, प्रिंसिपल, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के उप—निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूल के निदेशक, सहायक लाइब्रेरियनों, उप—लाइब्रेरियनों, लाइब्रेरियनों के लिएँ

3.3.0 एक अच्छा अकादमिक रिकार्ड, 55 प्रतिशत अंक (अथवा समकक्ष ग्रेड जिसका अनुकरण; किसी भी बिन्दु पैमाने की प्रणाली के लिए हो रहा हो) स्नातकोत्तर स्तर पर और राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) अथवा किसी एक मान्यता पात्र परीक्षा में योग्यता (राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा/सेट परीक्षा) सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों के लिए रहेंगे।

3.3.1 विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए, नेट/स्लेट/सेट ही पात्रता के लिये न्यूनतम अर्हताएँ मानी जाएँगी।

बशर्ते कि, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें या तो पीएच0डी0 डिग्री प्रदान की जा चुकी है (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार जो भी मानकों को बनाया गया है तथा पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने के लिए हैं) जो कि 2009 के नियमनों के अनुसार हैं, उनको नेट/स्लेट/सेट की उन पात्रता शर्तों से छूट होगी जो शर्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इसके समकक्ष पदों पर नियुक्तियों/भर्ती के लिए निर्धारित की गई हैं।

3.3.2 ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उन समस्त विषयों में नेट/स्लेट/सेट परीक्षा—अनिवार्य नहीं होगी—जिन विषयों में नेट/स्लेट/सेट की प्रत्यायित परीक्षा संचालित नहीं की जाती है।

3.4.0 ऐसे अभ्यर्थी जो कि शिक्षक के रूप में स्नातकोत्तर स्तर पर नियुक्त हैं और जो विभिन्न उद्योगों अथवा शोध संस्थानों से हैं ऐसे शिक्षकों के लिए नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर, सहायक प्रोफेसरों, सहायक लाइब्रेरियनों, सहायक निदेशकों जो सब शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद क्षेत्र से हैं—उनके लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत (अथवा जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो, वहाँ पर एक समकक्ष ग्रेड जो कि किसी पॉइन्ट स्केल में हो—उसमें) अंक अनिवार्य होंगे।

3.4.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक् रूप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलबध कराई जा सकती है शिक्षण संबंधी स्थानों/पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में पात्रता एवं श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड को निर्धारित करने के उद्देश्य से होगी। पात्रता के लिए आवश्यक 55 प्रतिशत अंक (अथवा ऐसी कोई स्थिति जहाँ ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है, वहाँ पर किसी भी "पॉइन्ट स्केल" की समकक्ष श्रेणी में) तथा 5 प्रतिशत की छूट जिन उपरोक्त श्रेणियों के लिए व्यक्त की गई है—वे अनुमत होंगी—जो कि अर्हकारी अंकों पर आधारित रहेगी—और जिनमें अनुग्रहांक के सम्मिलित करने की विधि लागू नहीं होगी।

3.5.0 ऐसे पीएच0डी0 धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जाए—55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।

3.6.0 ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वहाँ पर जो सापेक्ष समतुल्य माना जा रहा हो—वह समस्त प्रक्रिया पात्रता से युक्त मानी जाएगी।

3.7.0 प्रोफेसरों की नियुक्ति एवं इन पदों पर प्रोन्नति के लिए पीएच0डी0 डिग्री अनिवार्य होगी।

3.8.0 ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिन्हें सीधे तौर से सह प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया जाना है, उनके लिए पीएच0डी0 डिग्री अनिवार्य होगी।

3.9.0 अपनी एम.फिल. अथवा/पीएच0डी0 डिग्री प्राप्त करने के लिए जो समयावधि अभ्यर्थी द्वारा लगाया गया है, वह समस्त अवधि शैक्षिक पदों पर उनकी नियुक्तियों के लिए अध्यापन/शोध अनुभव के रूप में प्रस्तुत दावे के रूप में पेश नहीं की जा सकती।

4.0.0 सीधे तौर से भर्ती

4.0.0 प्रोफेसर

(अ)

(i) एक प्रतिष्ठित विद्वान जिसकी पीएच0डी0 में अर्हता अपने राम्बद्ध/समवर्गी/प्रासंगिक विषय में प्राप्त है, जिनकी प्रकाशित रचना बहुत उत्कृष्ट कोटि की है, जो कि वर्तमान में शोध कार्य में सक्रिय है तथा जिसके प्रकाशित ग्रन्थ

का साक्ष्य विद्यमान है तथा न्यूनतम रूप से उनकी कम से कम 10 रचनाएँ हों--पुस्तकों एवं/अथवा शोध/एवं विषय से जुड़ी नीति विषयक प्रपत्र हैं।

(ii) किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो; अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/उद्योगों में अनुभव हो; जिसमें पीएच0डी0 स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशा निर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो।

(iii) शैक्षिक नवोन्मेष, नूतन पाठ्यक्रम तथा विषयों का विस्तार एवं प्रौद्योगिकी--माध्ययुक्त अध्यापन प्रशिक्षण प्रक्रिया।

(iv) शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आइ.) में निर्दिष्ट न्यूनतम प्राप्तांकों पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) जो कि इन नियमनों के परिशिष्ट--III में व्यक्त की गई है।

अथवा

ब. एक उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यक्ति, जिसकी अपने सापेक्ष कार्य क्षेत्र में विद्यमान प्रतिष्ठा हो तथा जिसने सम्बद्ध/समवर्गी/सापेक्ष विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया तथा जिसका प्रमाणीकरण प्रत्यायकों द्वारा किया जाएँ

4.2.0 प्रिंसिपल

(i) स्नातकोत्तर की डिग्री--जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (तथा जहाँ पर भी श्रेणीकरण प्रणाली का अनुसरण किया जाता हो, उसके अनुसार समतुल्य श्रेणी जो कि पॉइन्ट स्केल में हो) किसी भी मान्य विश्वविद्यालय से प्राप्त हो।

(ii) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा एक समतुल्य श्रेणी जो कि पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत--जहाँ पर भी श्रेणीकरण प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो)।

(iii) कोई भी व्यक्ति जो सह प्रोफेसर/प्रोफेसर के पद पर रहा हो--जिसका उच्च शिक्षा से जुड़े किन्हीं विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों अथवा अन्य संस्थानों में कुल 15 वर्षों का अध्यापन/शोध/प्रशासन का अनुभव हो।

(iv) जैसा कि इन नियमनों के अंतर्गत परिशिष्ट--III में, महाविद्यालयों में, प्रोफेसरों की सीधे तौर पर नियुक्ति के विषय में निर्दिष्ट किया गया है तथा जैसा कि शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आइ.) पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के अनुसार है--इन सब पर आधारित एवं निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार।

4.3.0 सह–प्रोफेसर

(i) पीएच0डी0 डिग्री में प्राप्त श्रेष्ठ शैक्षणिक रिकॉर्ड–जो डिग्री सम्बद्ध/समवर्गी/सापेक्ष विषयों में प्राप्त की गई हो।

(ii) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा किसी "पॉइन्ट स्केल" के अंतर्गत समस्तरीय ग्रेड हो, जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)।

(iii) किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित शोध संस्थान/उद्योग में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अथवा शोध का अनुभव हो जो कि सहायक प्रोफेसर के स्तर के समतुल्य हो तथा जो समस्त अनुभव पीएच0डी0 के लिए किए गए शोध के अतिरिक्त हो तथा प्रकाशित रचनाओं के साक्ष्य द्वारा समर्थित हो तथा न्यूनतम 5 प्रकाशित रचनाएँ जो पुस्तकों एवं/अथवा शोध/विषयगत नीति से जुड़े प्रपत्रों के साथ समर्थित हों।

(iv) अभ्यर्थी को शैक्षणिक नवोन्मेषी डिज़ाइन युक्त नूतन पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विषयों एवं उसकी प्रौद्योगिकी–माध्य से युक्त शैक्षिक प्रक्रिया का अनुभव हो तथा इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करे कि उसने शोध छात्रों एवं अभ्यर्थियों का मार्ग दर्शन किया है।

(v) जैसा कि इन नियमनों (परिशिष्ट–III) में निर्दिष्ट किया गया है, तथा जैसा कि शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आइ.) में निष्पादन आधारित समीक्षात्मक प्रणाली पर इंगित रहता है–इन सब के अनुरूप न्यूनतम प्राप्तांक होने अनिवार्य है।

4.4.0 सहायक प्रोफेसर

4.4.1 कलाएँ, मानविकी, विज्ञान, समाज विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, भाषाएँ, विधि, पत्रकारिता एवं जन–संचार

(i) किसी भी सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित रूप के अनुसार श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो–तदनुसार एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो–किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से सापेक्ष विषय में प्राप्त हो–अथवा किसी भी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त कोई समतुल्य डिग्री हो।

(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती

है–अथवा सी.एस.आइ.आर. द्वारा–अथवा इस के समतुल्य परीक्षण जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि।

(iii) उपरोक्त धारा 4.4.1 की उपधारा (i) एवं (ii) के अंतर्गत जो भी व्यक्ति किया गया है –इस सबके बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनको कि यू.जी.सी. नियमन–2009 के अनुरूप पीएच0डी0 डिग्री प्रदान हुई है (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच0डी0 प्रदान करने के लिए नितान्त अनिवार्य है)–ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट मिल जाएगी–ऐसी शर्तें जो कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है।

(iv) ऐसे विषय, जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट/स्लेट/सेट के लिए संचालित नहीं किए जाते हैं–उनके लिए नेट/स्लेट/सेट की अनिवार्यता नहीं होगी।

4.4.2 संगीत, अभिनय कलाएँ, दृश्य कलाएँ एवं पारम्परिक भारतीय कला स्वरूप जैसे मूर्तिकला आदि।

4.4.2.1 संगीत एवं नृत्य विद्या

1. सहायक प्रोफेसर

(i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड–जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो वहाँ पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो।) उनके स्नातकोत्तर स्तर की डिग्री स्तर पर–उनके अपने सापेक्ष विषय में हो–अथवा किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से एक समतुल्य डिग्री हो।

(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों ने यू.जी.सी., सी.एस. आइ.आर. द्वारा संचालित जो व्याख्याताओं के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोग द्वारा संचालित/प्रत्यायित इसी की समतुल्य परीक्षा है–उसको सफलतापूर्वक पास कर लिया हो। इस अनुच्छेद 4.4.2.1 के अंतर्गत सम्मिलित उप–धाराएँ (i) एवं (ii) के बावजूद भी, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पीएच0डी0 है अथवा जिन्हें पीएच0डी0 प्रदान की गई है तथा जो प्रक्रिया यू0जी0सी0 नियमन, 2009 (पीएच0डी0 डिग्री के न्यूनतम मानक एवं विधि) के अनुसार है, ऐसे अभ्यर्थियों को नेट/स्लेट/सेट की उस न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी–जो शर्तें विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा इनके समतुल्य पदों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हुई हैं।

(iii) कुछ विषय जिनमें नेट/स्लेट/सेट को संचालित नहीं किया जाता है—उन विषयों के लिए स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों की अनिवार्यता नेट/स्लेट/सेट में नहीं होगी।

अथवा

(i) एक पारम्परिक एवं व्यावसायिक कलाविद् जिसने अपने सम्बद्ध विषय में उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय तौर पर व्यावसायिक उपलब्धि की है—और जिसके द्वारा किया गया हो—

(अ) उसने सुप्रसिद्ध/प्रतिष्ठित पारम्परिक गुरुजनों के शिष्य के रूप में अध्ययन किया हो—तथा अपना विषय विशेष की व्याख्या करने का सम्पूर्ण ज्ञान है :

(ब) दूरदर्शन/आकाशवाणी का वह उच्च स्तरीय कलाकार हो, तथा

(स) उसमें अपने विशिष्ट विषय के बारे में ताक्रिक रूप से व्याख्या करने की योग्यता हो तथा उस विषय में सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन सचित्र' माध्यम द्वारा करने का पर्याप्त ज्ञान हो।

2. **सह प्रोफेसर**

(i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड तथा पीएच0डी0 डिग्री में तथा उसमें उच्च व्यावसायिक मानकों से युक्त अभिनय क्षमता हो।

(ii) किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय स्तर पर अध्यापन करने का अथवा शोध करने का 8 वर्ष का अनुभव हो जो अवधि उस अवधि के अतिरिक्त होगी जिसमें कि उसने अपनी शोध उपाधि प्राप्त की हो।

(iii) उसकी प्रकाशित रचनाओं में इस बात को साक्ष्य मौजूद हो कि अपने विशिष्ट विषय में उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(iv) शैक्षणिक नवोन्मेषों जैसे नूतन पाठ्यक्रमों को अभिवन्यस्त करना—इसमें योगदान किया हो एवं/अथवा अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में अद्वितीय अभिनय की उपलब्धि प्राप्त की हो/किया हो।

अथवा

(i) एक ऐसा परम्परावादी एवं व्यावसायिक कलाकार हो जिसे अपने विषय विशेष में, उत्कृष्ट रूप में प्रशंसनीय एवं व्यावसायिक उपलब्धि हो—और जो होना चाहिए—अथवा रहा हो—

(अ) आकाशवाणी / दूरदर्शन का "ए" स्तर का कलाकार।

(ब) अपने विशेषीकृत विषय में अभिनय से जुड़े उत्कृष्ट उपलब्धियों से सम्बद्ध 8 वर्ष की अवधि का समय रहा हो।

(स) नवीन पाठ्यक्रमों एवं / अथवा पाठ्य विवरणों के रूपांकन का अनुभव

(ड) प्रतिष्ठित संस्थानों में विचार गोष्ठियों / सम्मेलन में भागीदारी।

(इ) अपने विषय विशेष की ताक्रिक व्याख्या प्रस्तुत करने की क्षमता तथा उस विषय से जुड़े सिद्धांतों को चित्रों की सहायता से उस विषय में प्रर्याप्त तौर से अध्यापन कराना।

3. **प्रोफेसर :**

i एक सुप्रसिद्ध विद्वान, जिसके पास शोध डिग्री हो, जो शोध कार्य में सक्रिय तौर से लगा हुआ है, किसी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय और / अथवा अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव—जिसमें कि शोध स्तर पर शोध कार्य में मार्गदर्शन का अनुभव तथा अपने विशिष्टीकृत क्षेत्र में अद्वितीय निष्पादन

अथवा

ii एक परम्परागत एवं व्यावसायिक कलाकार जिसने अपने विषय विशेष में उत्कृष्ट तौर से प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि प्राप्त की है या जिसके पास निम्नलिखित अनुभव रहा है / है—

(अ) "ए" ग्रेड कलाकार—आकाशवाणी / दूरदर्शन

(ब) अपने विशिष्टीकृत क्षेत्र में उत्कृष्ट निष्पादन युक्त उपलब्धियों का 12 वर्ष का अनुभव।

(स) अपने विशिष्टीकृत क्षेत्रों में किए गए महत्वपूर्ण योगदान तथा शोध कार्य में मार्गदर्शन करने की क्षमता।

(ड) राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों / सम्मेलनों / कार्यशालाओं में भागीदारी एवं राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों / अध्येतावृत्ति के प्रापतकर्ता एवं

(इ) विषय विशेष को लेकर उसकी ताक्रिक युक्तियुक्त व्याख्या की क्षमता एवं उस विषय विशेष के सिद्धान्तों के पक्ष को चित्रों के माध्यम से अध्यापन करने की क्षमता।

4.4.2.2 नाटक संबंधी विषयवस्तु

1. सहायक प्रोफेसर

(i) श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड—कम से कम स्नातक स्तर पर 55 प्रतिशत अंक हों (तथा एक पॉइन्ट स्केल के—जहाँ पर कोई ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता रहा हो इसमें ही एक समतुल्य ग्रेड।) तथा स्नातकोत्तर स्तर उस सापेक्ष विषय में किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से समतुल्य डिग्री।

(ii) उपरोक्त अर्हताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्ति, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास की गई हो, जिस परीक्षा को यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित किया जाता है अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित समान स्तर की परीक्षा को उत्तीर्ण किया गया हो। वैसे भी, ऐसे अभ्यर्थी जो पीएच0डी0 धारक हैं अथवा जिन्हें पीएच0डी0 मिल रही है, जो `प्रक्रिया यू0जी0सी नियमन, 2000 के अनुसार है—(पीएच0डी0 डिग्री को प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं विधि) वे अभ्यर्थी उस अनिवार्यता से छूट के पात्र होंगे—जो अनिवार्यता विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा उनकी समकक्ष स्थिति वालों की भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए नेट/स्लेट/सेट की परीक्षा में उत्तीण्र हो जाने की थी।

(iii) उपरोक्त समस्त के प्रति, बिना किसी पूर्वाग्रह के, ऐसे समस्त विषय, जिनमें स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट को संचालित नहीं किया जाता हैं—उन कार्यक्रमों के लिए नेट/स्लेट/सेट में अनिवार्य नहीं होंगे।

अथवा

(iv) एक परम्परागत एवं व्यावसायिक कलाकार जिसकी अत्यन्त उत्कृष्ट प्रशंसनीय उपलब्धियाँ अपने विषय विशेष में हैं—जो या तो निम्नवत हो अथवा उसके पास हो—

1. एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार, जिसके पास प्रथम श्रेणी की डिग्री/डिप्लोमा—जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अथवा भारतवर्ष या विदेश में स्थित इसी प्रकार के अनुमोदित संस्थान से हो—
2. क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय रंगमंचीय स्तर पर अभिनन्दित पाँच वर्ष का निरन्तर निष्पादन—जो कि साक्ष्य द्वारा समर्थित हो।

3. उसमें वह योग्यता विद्यमान हो कि अपने संबद्ध विषय की तार्किक विवेचना की व्याख्या प्रस्तुत कर सके–उसमें पर्याप्त जानकारी हो जिससे वह अपने संबद्ध विषय में उदाहरणों की सहायता से सैद्धान्तिक पक्ष का अध्यापन कर सके।

2. **सह प्रोफेसर**

(i) सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा गठित, किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा इस लक्ष्य के लिए जो अनुशंसाएँ की गई हैं–उनके अनुरूप ही उसका अकादमिक रिकॉर्ड–जो कि शोध डिग्री सहित हो–तथा उसमें उत्कृष्ट व्यावसायिक मानकयुक्त निष्पादन की क्षमता हो।

(ii) अपनी शोध डिग्री प्राप्त करने की अवधि से अतिरिक्त 8 वर्ष का अनुभव, किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय एवं/अथवा शोध कार्य जो किसी विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में किया हो–वह शामिल होना चाहिए

(iii) उसके द्वारा अपने प्रकाशनों द्वारा इस बात का साक्ष्य प्रकट होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अपने विशिष्ट विषयवस्तु में उस से जुड़े महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक योगदान किए हैं। इनमें, शैक्षिक नवोन्मेषी बातें–जैसे नवीनपाठ्यक्रमों का रूपांकन और/अथवा पाठ्य विषयों का रूपांकन और/अथवा अपनी विशेषज्ञता क्षेत्र में निष्पादन सहित अद्वितीय उपलब्धियाँ, सम्मिलित हों।

अथवा

(iv) वह व्यक्ति परम्परागत एवं व्यावसायिक कलाविद् हो जिसके पास उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि हो–तथा जिसके पास विद्यमान हो/अथवा जो निम्नवत् हो–

1. रंगमंच/रेडियो/दूरदर्शन का जाना पहचाना कलाकार
2. अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में अद्वितीय निष्पादन की उपलब्धियों का आठ वर्ष का अनुभव
3. नवीन पाठ्यक्रमों और/अथवा विषयवस्तु का रूपांकन का अनुभव
4. प्रतिष्ठित संस्थानों में विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों में भागीदारी एवं
5. उसमें अपने सम्बद्ध विषयवस्तु की तार्किक युक्तिसंगत रूप की व्याख्या करने की क्षमता हो, इस विषय में सैद्धान्तिक पक्ष को उदाहरणों की सहायता से अध्यापन करने के लिए पर्याप्त समझ/ज्ञान हो।

3. **प्रोफेसर**

(i) ऐसा प्रतिष्ठित विद्वान--जिसके पास शोध डिग्री हो, जो सक्रिय रूप से शोध कार्य में रत हो, जिसके पास, विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में 10 वर्ष का अध्यापन एवं/अथवा शोध का अनुभव हो, जिसमें शोध स्तर के विद्वानों का शोध में मार्गदर्शन करने का अनुभव हो तथा अपने विशिष्ट विषय क्षेत्र में जिसके निष्पादन द्वारा अद्वितीय उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हों।

अथवा

(ii) जो एक परम्परागत एवं व्यावसायिक कलाकार हो जिसकी उत्कृष्ट रूप से प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि अपने विशिष्ट विषय क्षेत्र में हो, और जो कि निम्नलिखित हो– अथवा उसके पास हो–

1. अपने विशिष्ट विषय क्षेत्र में 12 वर्ष का निष्पादन से जुड़ा अद्वितीय कोटि का अनुभव
2. उसने अपने विशिष्ट विषय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो तथा उसमें शोध कार्यों का मार्गदर्शन करने की योग्यता है।
3. जिसने, राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं में भाग लिया, एवं/अथवा जिसमें राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार/अध्येतावृत्तियाँ प्राप्त की हैं।
4. अपने संबंद्ध विषय क्षेत्र की तार्किक युक्ति संगत पक्ष की व्याख्या करने की क्षमता हो तथा उदाहरणों द्वारा सिद्धातों का अध्यापन करने के लिए पर्याप्त ज्ञान हो।

4.4.2.3 दृश्य (ललित) कला विषयवस्तु

1.सहायक प्रोफेसर

(i) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड (अथवा जिस स्थिति में ग्रेड प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो – वहाँ समतुल्य ग्रेड जो उस पॉइन्ट –स्केल में हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हो, जो कि संबद्ध विषय में हो, अथवा किसी भी भारतीय / विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त समस्तरीय डिग्री हो।

(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूरा कर लेने के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण किया गया हो, जो परीक्षा, यू.जी.सी., सी.एस. आई.आर.द्वारा प्राध्यापकों के लिए होता है, अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित ऐसी ही समरूप कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस, धारा 4.4.23 में जो उपधाराओं के एवं (ii) के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, उनके अतिरिक्त भी, ऐसे अभ्यर्थी जो या

तो पीएच0डी0 हैं अथवा जिन्हें यह प्रदान की गई है और जो कि विश्वविद्यालय अनुदाना आयोग 2009 (न्यूनतम मानक एवं प्रणाली जो कि पी.एच.डी.प्रदान करने के लिए हैं) वे लोग भी उन न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट के पात्र होंगे, जो शर्तें, विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों/संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों अथवा समतुल्य स्थितियों पर भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए निर्धारित हैं।

(iii) उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, नेट/स्लैट/सैट परीक्षा ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों वाले विषयों में अनिवार्य रूप से नहीं होगी जिन विषयों में नेट/स्लैट/सैट को संचालित नहीं किया जा रहा है।

अथवा

1. **सहायक प्रोफेसर**

वह एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार हो जिसकी अपने संबद्ध विषय में उत्कृष्ठ रूप से प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि हो, तथा जिसके पास होने चाहिए–

1. भारतवर्ष/विदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से दृश्य (ललित)कला विषयवस्तु में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा
2. नियमित रूप से क्षेत्रीय/ राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ/ कार्यशालाएँ आयोजित करने का 5 वर्ष का अनुभव हो– जो साक्ष्यों द्वारा समर्थित हो एवं,
3. अपने विशिष्ट विषयवस्तु की तार्क्रिक यथास्थिति की व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए तथा उस विषय में सिद्धांतों के अध्यापन में उदाहरणों द्वारा सहायता प्रदान करने की योग्यता हो।

2. **सह प्रोफेसर**

(i) जिसका श्रेष्ठ शैक्षिक रिकॉर्ड और जिसके पास शोध डिग्री हो, जिसमें उच्च व्यावसायिक मान की निष्पादन योग्यता है।

(ii) जो अवधि शोध डिग्री एम.फिल/पीएच0डी0 प्राप्त करने में लगाई है– उसके अतिरिक्त उसके पास, किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय एवं/ अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में किये गए अध्यापन एवं शोध करने का कुल 6 वर्ष का अनुभव हो।

(iii) उसके द्वारा प्रस्तुत प्रकाशनों की गुणवत्ता द्वारा यह साक्ष्य आना चाहिए कि उसने अपने सम्बद्ध विषय क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(iv) शैक्षिक नवोन्मेषी बातों का योगदान – जैसे कि नवीन पाठ्यक्रमों का रूपांकन एवं/ अथवा पाठ्य विवरणों एवं/ अथवा अपने विशेषज्ञताओं वाले क्षेत्रों में अद्वितीय निष्पादन की उपलब्धियाँ।

अथवा

(v) ऐसा व्यावसायिक कलाकार, जिसकी अपने संबद्ध विषय विशेष में उच्च स्तरीय प्रशंसनीय उपलब्धि है–तथा जिसके पास हाने चाहिए–

1. वह एक मान्यता प्राप्त कलाकार पुरूष/महिला–अपने विषय विशेष में हो
2. उनके अपने विशेषज्ञता वाले क्षेत्र में निष्पादन उपलब्धियों की अद्वितीय श्रेणी
3. नवीन पाठ्यक्रम एवं/अथवा पाठ्य विवरणों के रूपांकन का अनुभव
4. प्रतिष्ठित संस्थानों में हुई विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों में भागीदारी
5. अपने संबंद्ध विषय की ताक्रिक वस्तु स्थिति की व्याख्या करने की योग्यता तथा उस विषय में सिद्धातों का अध्यापन करने के लिए चित्रों द्वारा सहायता करने के विषय में पर्याप्त ज्ञान हो।

3. प्रोफेसर

(i) एक ऐसा प्रतिष्ठित विद्वान जिसके पास शोध डिग्री हो, जो शोध कार्य में सक्रिय रूप से व्यस्त हो, जिसके पास किसी विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अध्यापन एवं/ अथवा शोध कार्य का अनुभव हो– जिसमें शोध स्तर पर शोध कार्य के निर्देशन का अनुभव हो तथा जिसकी अपने विशिष्ट विषय क्षेत्र में अद्वितीय निष्पादन उपलब्धि हो।

अथवा

(ii) एक ऐसा व्यावसायिक कलाकार जिसे अपने संबद्ध विषय में उत्कृष्ट रूप में प्रशंसनीय व्यावसायिक उपलब्धि है–तथा जिसके पास होना चाहिए–

1. नियमित रूप से क्षेत्रीय /राष्ट्रीय प्रदर्शिनियों/कार्यशालाओं को आयोजित करने में 12 वर्ष का अनुभव – जो साक्ष्य द्वारा समर्थित हो
2. अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान तथा शोध कार्य के निर्देशन की योग्यता हो–
3. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/ सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भागीदारी, एवं/ अथवा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों/अध्येतावृतियों के प्राप्तकर्ता–एवं
4. अपने संबद्ध विषय में ताक्रिक रूप से वस्तुस्थिति की व्याख्या करने की योग्यता तथा उस विषय में उदाहरणों सिद्धांत पक्ष के अध्यापन की क्षमता।

4.4.3 व्यावसायिक चिकित्सा से जुड़े शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए अर्हताएँ अनुभव एवं अन्य पात्रता अनिवार्यताएँ –

1. सहायक प्रोफेसर

(i) व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातक डिग्री (बी.ओ.टी.बी.) (टी.एच.ओ / बी.ओ.टीएच) व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ओ.टीएच.ओ.)एम.एस.सी.ओ.टी. / एम.ओ.टी.) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ (अथवा जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है --वहाँ एक पॉइन्ट स्केल में एक समतुल्य ग्रेड) जो कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो।

2. सह–प्रोफेसर

(i) व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्त्र (एम.ओ.टी. / एम.ओ.टी.एच. / एम.एस.सी.ओ.टी) जिसे सहायक प्रोफेसर के रूप में 8 वर्ष का अनुभव हो।

(ii) वांछनीय उच्चतर अर्हता, जैसे पीएच0डी0 जो कि व्यावसायिक चिकित्सा की किसी भी शाखा में हो– जिसे यू.जी.सी. की मान्यता प्राप्त हो। जिसका प्रकाशित कार्य उच्चत्तर स्तर का हो।

3. प्रोफेसर

(i) व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ओ.टी. / एम.ओ.टीएच / एम.टीएच.ओ / एम.एस.सी.ओ.टी.) जिसमें कुल 11 वर्ष का अनुभव हो जिसमें सह– प्रोफेसर के रूप में (व्यावसायिक चिकित्सा) 5 वर्ष का अनुभव हो।

(ii) वांछनीय : यू.जी.सी. द्वारा मान्य, व्यावसायिक चिकित्सा की किसी भी शाखा / विषय में उच्चतर अर्हता, जैसे पीएच0डी0 तथा उच्च्य कोटि का प्रकाशित कार्य।

4. प्रिंसिपल / निदेशक / डीन :

व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.ओ.टी. / एम.टीएच.ओ / एम.ओ. / एम.एस.सी.ओ.टी.)जिसके साथ 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें 5 वर्ष का अनुभव प्रोफेसर के पद पर हो।(व्यावसायिक चिकित्सा)

(i) वरिष्ठतम प्रोफेसर ही प्रिंसिपल / निदेशक / डीन होगा।

(ii) वांछनीय : यू.जी.सी. द्वारा मान्य, व्यावसायिक चिकित्सा की किसी शाखा/विषय में उच्चतर अर्हता जैसे पी.एच.डी./स्वतंत्र रूप से उचित, प्रकाशित रचना जो उच्च मानक वाली हो।

4.4.4 शारीरिक चिकित्सा के शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए अर्हताएँ, अनुभव एवं अन्य पात्रता अनिवार्यताएँ :

1. सहायक प्रोफेसर

(i) चिकित्सा में स्नातक डिग्री (बी.पी./टी./बी.टी.एच./पी/बी.पी.टी.एच) शरीर चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.टी.एच/एम.एस.सी.पी.टी./एम.पी.टी.) जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हैं(अथवा किसी भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किये जाने की स्थिति में किसी एक पॉइन्ट स्केल में एक समतुल्य ग्रेड) जो डिग्री किसी भी मान्य विश्वविद्यालय से होनी चाहिएँ

2. सह–प्रोफेसर

(i) शरीर चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.टी/एम.पी.टी.एच/एम.टी.एच.पी./एम.एस.सी.पी.टी) जिसमें कि सहायक प्रोफेसर के रूप में कुल 8 वर्ष का अनुभव हो।

(ii) वांछनीय : यू.जी.सी. द्वारा मान्य शरीर चिकित्सा की किसी शाखा में उच्चतर अर्हता जैसे कि पी.एच.डी./ उच्च स्तर का प्रकाशित कार्य।

3. प्रोफेसर :

(i) शरीर चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.टी./एम.पी.टी.एच./एम.टी.एच.पी/एम.एस.सी.पी.टी.) जिसके साथ 11 वर्ष का कुल अनुभव हो, जिसमें सह–प्रोफेसर के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव शामिल हो।(शरीर चिकित्सा)

(ii) वांछनीय : शरीर चिकित्सा की किसी भी शाखा में उच्चतर अर्हता जैसे कि पीएच0डी0 जो कि यू.जी.सी. द्वारा मान्य है। उच्च स्तरीय स्वतंत्र रूप से उचित प्रकाशित कार्य।

4. प्रिंसिपल / निदेशक / डीन

(i) शरीर चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.पी.टी. / एम.पी.टी.एच. / एम.टी.एच.पी / एम.एस.सी.पी.टी.) जिसके साथ कुल 15 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें प्रोफेसर (शरीर चिकित्सा) के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो।

(ii) वरिष्ठतम प्रोफेसर ही प्रिंसिपल / निदेशक / डीन होंगे।

(iii) वांछनीय :यू.जी.सी. द्वारा , शरीर चिकित्सा की किसी भी शाखा में उच्चतर अर्हता जैसे कि पी.एच.डी. / उच्च स्तरीय स्वतंत्र रूप से रचित प्रकाशित कार्य।

4.4.5 विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापन संकाय सदस्यों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएँ –प्रबंधन / वाणिज्य प्रशासन :

1. सहायक प्रोफेसर

(i) अनिवार्यताएँ

1. वाणिज्य प्रबन्धन / प्रशासन / किसी भी सापेक्ष प्रबंधन से संबद्ध विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा पी.जी.डी.एम दो वर्षीय पूर्ण कालिक जो कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा समस्तरीय घोषित किया जा चुका है। जो कि अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् द्वारा / यू.जी.सी. द्वारा भी समस्तरीय घोषित की जा चुकी है।

अथवा

2. प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण स्नातक एवं व्यावसायिक तौर पर अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट / कौस्ट एण्ड वर्केस एकाउन्टेन्ट / कंपनी सचिव जो कि संबद्ध संविधिक निकायों से हों।

(ii) वांछनीय

1. अध्यापन, शोध, औद्योगिक एवं / अथवा व्यावसायिक अनुभव, किसी एक प्रतिष्ठित संगठन में–

2. सम्मेलनों में प्रस्तुत प्रपत्र अथवा उल्लिखित पत्रिकाओं में प्रकाशित।

2. सह प्रोफेसर

i सुसंगत रूप से श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड जिसमें कम से कम 55 प्रतिशत अंक (जहाँ भी ग्रेड़िग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है। वहाँ पर पॉइन्ट स्केल में एक

समस्तरीय ग्रेड) जो कि स्नातकोत्तर डिग्री में हो– जो वाणिज्य प्रबन्धन /प्रशासन /किसी एक सापेक्ष प्रबंधन से संबद्ध विषय में अथवा दो वर्षीय पूर्ण कालिक पी.जी. डी. एम. में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण – जिस पी.जी.डी.एम. को ए.आइ.यू. द्वारा समस्तरीय घोषित किया है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्रदान की है।

अथवा

प्रथम श्रेणी में स्नातक एवं व्यावसायिक तौर से अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेन्ट/कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट /कंपनी सचिव जो कि संविधिक निकाय का हो।

ii पीएच0डी0 हो, अथवा भारतीय प्रबन्धन संस्थान का संघीय सदस्य है अथवा किसी भीऐसे संस्थान का सदस्य, जिस संस्थान को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता दी गई हो तथा ए.आइ.यू.द्वारा समस्तरीय घोषित किया गया है।

iii न्यूनतम आठ वर्ष का अध्यापन/उद्योग संस्थान /शोध /प्रबन्धात्मक स्तर पर व्यावसायिक अनुभव – जो अवधि, उसके द्वारा प्राप्त शोध डिग्री की अवधि के अतिरिक्त होनी चाहिएँ

iv यदि किसी स्थिति में, वह अभ्यर्थी किसी उद्योग एवं व्यवसाय से है, तो निम्न अनिवार्यताएँ, आवश्यक रूप से आंगिक बनी रहेगी :–

1. वाणिज्य प्रबन्धन /प्रशासन/किसी प्रबन्धन से जुड़े सापेक्ष विषय में अथवा दो वर्षीय पूर्ण कालिक पी.डी.एम. में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो– जो पाठ्यक्रम ए. आई.यू.द्वारा समस्तरीय घोषित कर दिया गया है। जिसे ए.आइ.सी.टी.ई/यू.जी. सी.द्वारा मान्यता प्रदान की जा चुकी है– इसके साथ–साथ लगातार उसका शैक्षिक रिकॉर्ड श्रेष्ठ हो– जहाँ कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों (या इसके समतुल्य ग्रेड –एक ऐसे पाइन्ट स्केल के अन्तर्गत जहाँ पर ग्रेडिग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)

अथवा

प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातक तथा व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट/कंपनी सचिव जो किसी भी सांविधिक निकाय में हो।

2. किसी भी अध्यापन / उद्योग / शोध / व्यवसाय में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से पाँच वर्ष की अवधि सहायक प्रोफेसर के रूप में रही हो--जो कि उसकी अपनी शोध डिग्री प्राप्त करने की अवधि से अतिरिक्त हो। अभ्यर्थी के पास व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है और जिसे राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएच0डी0 के समतुल्य माना जाता है तथा इसके साथ ही उद्योग / व्यवसाय में दस वर्ष का सप्रबन्धन का अनुभव हो जिसमें कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के दौरान प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक के समतुल्य स्तर पर कार्य किया हो।

v उपरोक्त के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के निम्नलिखित शर्तों को वांछनीय माना गया है :

अ) किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक एवं / अथवा व्यावसायिक अनुभव हो।

ब) प्रकाशित रचना हो, जैसे कि शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत / उपलब्ध पुस्तकें / अथवा तकनीकी रिपोर्टें एवं

स) स्नातकोत्तर / शोध छात्रों की शोध रचना / शोध प्रबन्ध अथवा उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास योजनाओं में परिवीक्षण कार्य करना

3. **प्रोफेसर**

i) वाणिज्य प्रबन्धन / प्रशासन जो किसी भी सापेक्ष विषय में हो – इन विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर निरन्तर स्थिर रूप में श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (और जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो--वहाँ पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड हो) जो कि पूर्णकालिक पी.जी. डी.एम के दो वर्षीय क्रम को पूरा किया हो–जो कि ए.आइ.यू. द्वारा समतुल्य घोषित है / जो कि अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् द्वारा / यू.जी.सी. द्वारा मान्य है।

अथवा

वह प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्ण स्नातक हो एवं व्यावसायिक तौर से योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट / कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट / कंपनी सचिव जो कि संबद्ध संविधिक निकाय में हो।

i) पीएच0डी0 हो अथवा भारतीय प्रबन्धन संस्थान अथवा किसी ऐसे संस्थान का शिक्षावृत्ति भोगी हो–जिसे कि ए.आइ.सी.टी.ई. द्वारा मान्य किया गया हो एवं जिसे ए.आइ.यू द्वारा समतुल्य घोषित कर दिया गया है।

ii) किसी भी अध्यापन/उद्योग/शोध में/व्यवसाय में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुाव हो–जिसमें से 5 वर्ष की अवधि रीडर अथवा इसके समतुल्य पद पर हुई हो–जो अवधि इसके द्वारा प्राप्त की गई शोध डिग्री की अवधि के अतिरिक्त हो।

iii) संयोजन करने का प्रत्यक्ष नेतृत्व तथा अकादमिक शोध को संगठित करने का तथा शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक गतिविधियों को संगठित करना।

v) नेतृत्व द्वारा प्रवर्तित शोध एवं विकास परामर्श एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों का दायित्व लेने की क्षमता।

4. प्रिंसिपल/निदेशक/संस्थान का प्रमुख

i इस विषय में अर्हताएँ वे ही हैं जैसे कि सम्बद्ध विषय में प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित की गई हैं–जिसके साथ स्नातकोत्तर अध्यापन/उद्योग/शोध में न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिएँ

अथवा

ii 1. इस विषय में अर्हताएँ वे ही हैं जो कि सम्बद्ध विषय में प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित की गई हैं–और वह व्यक्ति उद्योग/व्यावसायिक प्रणाली से हो–और उसे स्नातकोत्तर अध्यापन/शोध का 15 वर्ष का अनुभव हो–जिसमें से 5 वर्ष की अवधि, अनिवार्यतः उसी विषय में रत एक प्रोफेसर के पद पर रही हो।

iii उपरोक्त से पूर्वाग्रह के बिना, निम्न शर्तों को वांछनीय माना जाए :

1. उद्योग/व्यावसायिक प्रतिष्ठान में वरिष्ठ स्तर के पद पर दायित्व पूर्ण स्थिति में प्रशासनिक अनुभव हो।

5. एक सात अंक पैमाने के लिए ग्रेड अंक की तुल्यता :

यहाँ पर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जहाँ पर विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान द्वारा परिणामों को–जो कि ग्रेड अंक सात के पैमाने पर हैं–उनमें परिणाम घोषित करने के लिए निम्न व्यवस्था, प्रतिशत में बराबर के निशान का पता लगाने में संदर्भित किया जाएगा :

ग्रेड	ग्रेड पाइन्ट	प्रतिशतता समतुल्यता
'ओ' अद्वितीय	5.50—6.00	75—100
'ए' अत्यन्त श्रेष्ठ	4.50—5.49	56—74
'बी' उत्तम	3.50—4.49	55—64
'सी' औसत	2.50—3.49	45—54
'डी' औसत से नीचे	1.50—2.49	35—44
'ई' घटिया	0.50—1.49	25—34
'एफ' असफल	0.0—0.49	0—24

6. **चयन समिति :**

जैसा कि यू.जी.सी. द्वारा नियमनों के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, चयन समिति उसी के अनुरूप होनी चाहिएँ

4.4.6.1 इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी विषयों में अध्यापन संकाय की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएँ :

1. **सहायक प्रोफेसर**

i **अनिवार्य :**

i इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।

ii उपरोक्त से पूर्वाग्रह के बिना, निम्न शर्तों को वांछनीय माना जाए :—

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन/औद्योगिक प्रतिष्ठान में किया गया शोध कार्य।

2. प्रपत्र जो कि सम्मेलनों में प्रस्तुत किए गए/विचारार्थ भेजी गई पत्रिकाएँ।

2. **सह प्रोफेसर**

i **अनिवार्य :**

i इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण तथा पीएच0डी0 डिग्री एवं प्राध्यापक अथवा समतुल्य स्तर पर, अध्यापन शोध/उद्योग में आठ वर्ष का अनुभव—जिसमें वह अवधि अतिरिक्त रहेगी जो कि शोध डिग्री को प्राप्त करने में व्यतीत की गई है।

अथवा

ii एक ऐसी स्थिति जहाँ, अभ्यर्थी या तो उद्योग से है अथवा किसी व्यवसाय से है–तो निम्न प्रावधान अनिवार्य रूप से आंगिक माने जाएँगे :–

1. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की सापेक्ष शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।

2. ऐसा महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य जो कि एक पीएच0डी0 डिग्री के समकक्ष मान्य हो, जो कि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त सम्बद्ध शाखा से जुड़ा हो–और प्राध्यापक स्तर के समकक्ष, औद्योगिक/व्यावसायिक कार्य का आठ वर्ष का अनुभव।

बशर्ते कि, इस प्रकार के महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता उसी अवस्था में वैध मानी जाएगी–यदि इसकी अनुशंसा एक 3 सदस्यीय समिति जो विशेषज्ञों की हो, उसके द्वारा की गई–जो विशेषज्ञ समिति उप–कुलपति द्वारा नियुक्त की गई हो।

iii उपरोक्त पूर्वाग्रह के बिना, निम्नलिखित शर्तों को वांछनीय माना जाए –

1. किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में अध्यापन, शोध, औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव।

2. प्रकाशित कार्य, जैसे कि शोध पत्र, पेटेन्ट जो पंजीकृत हैं/प्राप्त की गई पुस्तकें/तकनीकी रिपोर्टें,

3. परियोजना कार्य का मार्गदर्शन/स्नातकोत्तर शोध प्रबन्ध/शोध छात्र अथवा उद्योगों में शोध एवं विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करना।

3. **प्रोफेसर**

i **अनिवार्य :**

i स्नातक स्तर अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण डिग्री तथा पीएच0डी0 डिग्री जो कि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त सम्बद्ध शाखा में हो तथा अध्यापन अथवा शोध एवं/अथवा उद्योग में हो दस वर्ष का अनुभव–जिसमें से सहायक प्रोफेसर या रीडर अथवा समकक्ष ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो।

अथवा

ii यदि वह अभ्यर्थी उद्योग अथवा व्यवसाय से जुड़ा है–तो निम्नलिखित बातें आंगिक रूप से अनिवार्य होंगी :–

1. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की सम्बद्ध शाखा में प्रथम श्रेणी युक्त स्नातकोत्तर डिग्री।

2. महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य जिसको कि पीएच0डी0 डिग्री के समकक्ष मान्यता दी जा सकती है,– जो कार्य इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की सम्बद्ध शाखा में किया गया हो; एवं औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव जिसकी दस वर्ष की अवधि हो–और जिसमें कम से कम पाँच वर्ष सहायक प्रोफेसर/रीडर के वरिष्ठ स्तर के रूप में हों।।

बशर्ते कि, उपरोक्त महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता उसी स्थिति में वैध मानी जाएगी–यदि उसकी अनुशंसा एक ऐसी 3 सदस्यीय समिति द्वारा एकमत से की गई हो, जिस समिति को उप–कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया हो।

iii उपरोक्त पूर्वाग्रह के बिना, निम्न शर्तों को वांछनीय समझा जाए :–

1. किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में अध्यापन, शोध, औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव।

2. प्रकाशित रचना, जैसे कि शोध प्रपत्र, पेटेन्ट जो पंजीकृत हैं/प्राप्त की गई पुस्तकें/तकनीकी रिपोर्टें,

3. परियोजना कार्य का मार्गदर्शन/स्नातकोत्तर स्तर के शोध प्रबन्ध का मार्गदर्शन/शोध छात्रों का मार्गदर्शन अथवा उद्योगों में शोध एवं विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करना।

4. शैक्षिक शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक गतिविधियों के संयोजन एवं संगठन करने का प्रत्यक्ष नेतृत्व तथा

5. शोध एवं विकास की, परामर्श से जुड़ी एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों को हाथ में लेने की/नेतृत्व करने की क्षमता।

4.4.6.2 जैव प्रौद्योगिकी (इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी) विषय

1. **सहायक प्रोफेसर**

i अनिवार्य

1. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी की उपयुक्त/सम्बद्ध शाखा में प्रथम श्रेणी युक्त स्नातकोत्तर डिग्री।

अथवा

2. इन विषयों में जो कि अनुप्रयुक्त जैवीय विज्ञान के अन्तर्गत हैं–इनमें से किसी एक में पीएच0डी0 डिग्री–

सूक्ष्म जीव विज्ञान–जैव रसायन–आनुवंशिकी–

आणवि जीव विज्ञान–औषधि निर्माण–जीव भैतिकी–

अथवा

3. एक श्रेष्ठ आकदमिक रिकॉर्ड जिसमें कम से कम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक समकक्ष ग्रेड हो) जो कि स्नातकोत्तर स्तर पर हों उनके अपने संबद्ध विषय में–जो डिग्री भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त हो।

ii उपरोक्त अर्हताओं को पूरित करने से पूर्व, अभ्यर्थियों द्वारा नेट की पात्रता परीक्षा जो प्राध्यापकों के लिए, यूजीसी, सी.एस.आइ.आर., अथवा इसी समान के परीक्षण जो यू0जी0सी द्वारा प्रत्यायित हैं–इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

iii **वांछनीय है :**

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक अथवा व्यावसायिक अनुभव
2. सम्मेलनों एवं/अथवा संदर्भित पत्रिकाओं में प्रस्तुत प्रपत्र।

2. **सह–प्रोफेसर**

i **अनिवार्य**

1. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त जैव विज्ञानों में स्नातक स्तर पर अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण, पीएच0डी0 डिग्री तथा अध्यापन, शोध एवं/अथवा उद्योग में आठ साल सका अनुभव जो कि प्राध्यापक स्तर अथवा इसके समकक्ष स्तर का हो–तथा इसमें वह अवधि अतिरिक्त होगी जो कि शोध डिग्री प्राप्त करने में लगी है।

अथवा

ii यदि किसी स्थिति में वह अभ्यर्थी उद्योग अथवा व्यवसाय से होगा तो निम्न बाते अनिवार्य होंगी –

1. इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त जैव विज्ञानों में से किसी एक में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।
2. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त जैवीय विज्ञानों की संबद्ध शाखाओं में से किसी एक में किया गया ऐसा महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य जिसे कि पीएच0डी0 डिग्री के समकक्ष मान्यता दी जा सकती है तथा आठ वर्ष का औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव हो जो कि एक प्राध्यापक स्तर के समकक्ष होना चाहिएँ

बशर्ते कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति के लिए जो मान्यता होगी वह उसी स्थिति में वैध मानी जाएगी—यदि उसे एकमत से किसी 3 सदस्य वाली समिति ने अनुशंसित किया है जिस समिति की नियुक्ति उप—कुलपति द्वारा हुई है।

iii वांछनीय है :

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में 'अध्यापन, शोध, औद्योगिक अथवा व्यावसायिक अनुभव।

2. प्रकाशित रचना जैसे शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/प्राप्त पुस्तकें एवं2अथवा तकनीकी रिपोर्टें एवं
3. परियोजना कार्य का मार्गदर्शन/स्नातकोत्तर स्तर का शोध प्रबन्ध/शोध छात्र अथवा उद्योगों में शोध एवं विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण।

3. **प्रोफेसर**

i **अनिवार्य :**

i इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त जैवीय विज्ञानों की सम्बद्ध शाखाओं में प्रथम श्रेणी में स्नातक स्तर अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्रियां, पीएच0डी0 डिग्री तथा अध्यापन, शोध एवं/अथवा उद्योगों में दस वर्ष का अनुभव—जिसमें से कम से कम 5 साल का अनुभवा सहायक प्रोफेसर, रीडर अथवा समकक्ष स्तर पर हो।

अथवा

ii यदि अभ्यर्थी किसी उद्योग एवं व्यवसाय से है—तो निम्नलिखित बातें अनिवार्य होंगी :—

1. इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त जैवीय विज्ञानों की सम्बद्ध शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।

2. ऐसी महत्वपूर्ण रचना जो कि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी/अनुप्रयुक्त विज्ञानों की सम्बद्ध शाखा में पीएच0डी0 के समकक्ष मान्य किया जा सके और औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव जो कि दस वर्ष का हो—जिसमें कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव सहायक प्रोफेसर/रीडर के वरिष्ठ स्तर का हो।

बशर्ते कि, उस महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता केवल उसी स्थिति में वैध मानी जाएगी—यदि वह 3 सदस्यों की समिति द्वारा एकमत से अनुशंसित की गई हो, जिस समिति को उप—कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया हो।

iii वांछनीय

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध, औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव।
2. प्रकाशित रचना, जैसे कि शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/प्राप्त पुस्तकें/तकनीकी रिपोर्टें, ।
3. परियोजना कार्य का मार्गदर्शन का अनुभव, या शोध प्रबन्ध जो स्नातकोत्तर स्तर की है अथवा शोध छात्रों का मार्गदर्शन या शोध एवं विकास परियोजनाओं का उद्योगों में पर्यवेक्षण करना।
4. संयोजन से जुड़ा प्रत्यक्ष नेतृत्व तथा शैक्षिक शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना।
5. समर्थित शोध एवं विकास गतिविधियों, परामर्श से जुड़ी एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों का दायित्व संभालना तथा उनका नेतृत्व करना।

4.4.6.3 औषध विज्ञान का विषय

1. सहायक प्रोफेसर

i अनिवार्य

1. औषध विज्ञान में आधारभूत डिग्री।
2. औषध विज्ञान अधिनियम, 1948 जो कि समय समय पर संशोधित होता रहा है तथा जिसमें अग्रवर्ती समय के दौरान होने वाले अधिनियमन भी सम्मिलित हैं–उसके अंतर्गत एक फार्मेसी विशेषज्ञ के रूप में पंजीकरण कराना।
3. फार्मेसी की किसी भी उपयुक्त एवं संबद्ध शाखा में विशेषज्ञता सहित प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री

ii वांछनीय

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध–औद्योगिक/व्यावसायिक स्तर पर अनुभव।
2. सम्मेलनों में प्रस्तुत प्रपत्र एवं/अथवा संदर्भित पत्रिकाओं में प्रस्तुत।

2 सह प्रोफेसर

i अनिवार्य

1. फार्मेसी में आधारभूत डिग्री (बी.फार्म)।

2. फार्मेसी अधिनियम, 1948 जो कि समय समय पर संशोधित होता रहा है – जिसमें अग्रवर्ती समय में अधिनियम सम्मिलित होते रहे हैं–उस अधिनियम के अंतर्गत एक फ़ार्मेसिस्ट के रूप में पंजीकरण।
3. फ़ार्मेसी की किसी शाखा में विशेषज्ञता तथा स्नातक स्तर एवं/अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में डिग्री तथा पीएच0डी0 एवं प्राध्यापक अथवा समकक्ष ग्रेड के स्तर पर अध्यापन, शोध, औद्योगिक एवं/अथवा व्यावसायिक रूप से 8 वर्ष का अनुभव हो जिसमें वह अवधि सम्मिलित नहीं है जो कि शोध डिग्री प्राप्त करने में लगाई गई थी।

बशर्ते कि उस महत्वशाली व्यावसायिक की मान्यता उसी स्थिति में वैध मानी जाएगी यदि वह, विशेषज्ञों की एक तीन सदस्यों वाली समिति द्वारा अनुशंसित होगी–ऐससी स्थिति जो कि उपकुलपति द्वारा नियुक्त की गई है।

अथवा

ii यदि अभ्यर्थी किसी उद्योग से अथवा व्यवसाय से जुड़ा है तो निम्नलिखित अनिवार्य रूप से पालन होगा :–

1. फ़ार्मेसी की सम्बद्ध/उपयुक्त शाखा में विशेषज्ञता तथा प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री।
2. ऐसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक रचना जिसे कि पीएच0डी0 के समकक्ष मान्यता दी जाए–जो कि फार्मेसी की विशेषज्ञता वाली किसी शाखा में हो और इसके साथ उद्योग में/व्यावसायिक अनुभव जो प्राध्यापक स्तर के समकक्ष का हो और 8 वर्ष की अवधि का हो।
   बशर्ते कि उन महत्वशाली व्यावसायिक की मान्यता केवल मात्र उसी स्थिति में वैध मानी जाएगी जबकि उसकी अनुशंसा एक ऐसी 3 सदस्यों वाली समिति द्वारा एक मत से की गई हो–जिस समिति को उप–कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया हो।

iii **वांछनीय**

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन, शोध अथवा औद्योगिक/व्यावसायिक अनुभव।
2. प्रकाशित रचना, जैसे कि शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/उपलब्ध, पुस्तकें एवं/अथवा तकनीकी रिपोर्टें, तथा
3. परियोजना कार्य का मार्गदर्शन अथवा उद्योग में शोध व विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण।

3. प्रोफेसर

1. फार्मेसी में आधारभूत डिग्री (बी.फार्म)।
2. फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकरण जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ है – जिसमें आगे के समय में अधिनियम सम्मिलित हैं।
3. फ़ार्मेसी की सम्बद्ध शाखा में विशेषज्ञता वाली प्रथम श्रेणी स्नातक डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिग्री और पीएच0डी0 डिग्री–इसके साथ ही प्राध्यापक अथवा इसके समकक्ष स्तर वाला 10 वर्ष का अनुभव हो–जो कि अध्यापन, उद्योग एवं/अथवा व्यवसाय में हो।

अथवा

ii यदि किसी स्थिति में अभ्यर्थी का संबंध उद्योग से अथवा व्यवसाय से है तो निम्नलिखित बातें अनिवार्य रूप से लागू मानी जाएँगी :–

1. फ़ार्मेसी की सम्बद्ध/उपयुक्त शाखा में विशेषज्ञता तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी में डिग्री एवं
2. फार्मेसी की किसी भी संबद्ध उपयुक्त शाखा में विशेषज्ञता का ऐसा महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य जिसे कि पीएच0डी0 के समकक्ष मान्य हो, एवं उद्योग एवं/व्यावसायिक अनुभव–5वर्ष का–जोकि एक वरिष्ठ स्तर का हो तथा तुलनात्मक रू‍प से सहायक प्रोफेसर/रीडर का हो।
   बशर्ते कि उस महत्वशाली व्यावसायिक व्यक्ति की मान्यता उसी स्थिति में वैध मानी जाएगी यदि वह विशेषज्ञों की एक 3 सदस्यों वाली समिति द्वारा अनुशंसित होगी–ऐसी समिति जो कि उप–कुलपति द्वारा नियुक्त की गई हो।

iii वांछनीय

1. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन में अध्यापन का अथवा औद्योगिक शोध/एवं व्यावसायिक अनुभव।
2. प्रकाशित रचना, जैसे शोध प्रपत्र, पेटेन्ट पंजीकृत/उपलब्ध पुस्तकें एवं/अथवा तकनीकी रिपोर्टें।
3. स्नातकोत्तर अथवा शोध छात्रों की परियोजना कार्य, शोध प्रबन्ध का मार्गदर्शन करना अथवा उद्योग में शोध एवं विकास परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करना।
4. संयोजन, एवं अकादमिक, शोध, औद्योगिक/अथवा व्यावसायिक गतिविधियों के नेतृत्व का प्रत्यक्ष प्रदर्शन एवं
5. समर्थित शोध एवं विकास कार्यों, परामर्श से संबद्ध कार्यों की एवं सम्बद्ध गतिविधियों का दायित्व उठाने की क्षमता।

किसी भी संदेह के निराकरण के लिए यह स्पष्ट रूप से व्यक्ति किया जा रहा है कि :—

1. यदि स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तरों पर, वर्ग अथवा श्रेणी घोषित नहीं किए गए हैं तो >=60% का समुच्चय अथवा समतुल्य संचयी ग्रेड पॉइन्ट औसत (सी.जी.पी.ए.) को ही प्रथम श्रेणी के समतुल्य माना जाएगा।
2. एक ऐसी स्थिति जिसमें कि एक 10 पॉइन्ट स्केल पर छात्रों/अभ्यर्थियों को सी.जी.पी.ए. प्रदान होता है—तो सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा एक समतुल्याता की तालिका उपलब्ध कराई जाएगी—जिस तालिका का अनुसरण, श्रेणी जो प्राप्त की गई है—उसको निर्धारित करने के लिए उपरोक्त 1 के अनुसार किया जाएगा।

4.4.7 राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के विनियमनों के अन्तर्गत संकाय स्तरों के लिए जो अर्हताएँ निर्धारित हुई हैं :—

ए. बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए अर्हताएँ

i) प्रिंसिपल/अध्यक्ष (बहु—संकाय अवस्थिति में)

(अ) शैक्षिक एवं व्यावसायिक अर्हता वही होगी जैसे कि प्राध्यापक के पद के लिय निर्धारित की गई है;

(ब) शिक्षा के विषय में पीएच0डी0 तथा

(स) दस वर्ष का अध्यापन का अनुभव जिसमें से कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव उच्चतर माध्यमिक शैक्षिक संस्थान में अध्यापन का हो।

बशर्ते कि, यदि उपरोक्त पात्रता मानदण्ड के अनुसार, जो कि प्रिंसिपल/अध्यक्षों की नियुक्तियों के लिए है—यदि सुपात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए नहीं उपलब्ध रहते हैं—उस स्थिति में अवकाश प्राप्त प्रोफेसरों/अध्यक्षों को शिक्षा विभाग में अनुबन्धात्मक आधार पर नियुक्त किए जाने की अनुमति होगी—जो नियुक्ति एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि की नहीं होगी तथा उस समय तक लागू रहेगी जब तक कि अभ्यर्थी 65 वर्ष की आयु तक पहुँच जाता है।

ii) सहायक प्रोफेसर

(अ) आधार पाठ्यक्रम

1. विज्ञान/मानविकी/कलाओं में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें 50 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत समतुल्य ग्रेड—जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)।

2. स्नातकोत्तर "एम.एड." डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा किसी भी पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है।) एवं
3. कोई भी अन्य अनुबद्धता जो कि यू0जी0सी0/इसी के सदृश अन्य किसी संबद्ध निकाय द्वारा/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर, प्रिंसिपल एवं प्राध्यापकों के लिए निर्धारित किए गए हों–तो वे अनुबद्धताएँ अनिवार्य होंगी।

अथवा

1. शिक्षा के विषय में 55 प्रतिशत अंक जो स्नातकोत्तर पर हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड, जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है);
2. न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ बी.एड. (अथवा एक पॉइन्ट सकेल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड, जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किय जा रहा है) तथा
3. प्रिंसिपल एवं प्राध्यापकों के स्थानों के लिए समय समय पर यूजीसी/इसी के सदृश अन्य किसी संबद्ध निकाय द्वारा/राज्य सरकार द्वारा जो भी अनुबद्धता निर्धारित की गई है, वह अनिवार्य होगी।

ब. प्रणाली विज्ञान पाठ्यक्रम

1. इस विषय में स्नातकोत्तर डिग्री हो जिसमें 50 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में एक समकक्ष ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)।
2. "एम.एड." डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है।) एवं
3. प्रिंसिपल एवं प्राख्याताओं के स्थानों के लिए समय समय पर यूजीसी, इसी के सदृश अन्य किसी संबद्ध निकाय द्वारा/राज्य सरकार द्वारा जो भी अनुबद्धता निर्धारित की जाती रही है–वह अनिवार्य रहेंगी।
   बशर्ते कि, नयूनतम एक प्राध्यापक के पास "आइ.सी.टी." में विशेषताएँ होनी चाहिए तथा एक अन्य प्राध्यापक के पास विशिष्ट शिक्षा में विशेषताएँ होनी चाहिएँ

बी. एम.एड. पाठ्यक्रम के लिए अर्हताएँ

i) प्रोफेसर/अध्यक्ष

अ. कलाओं/मानविकी/विज्ञानों/वाणिज्य एवं एम.एड. में प्रत्येक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा किसी एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समकक्ष ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)।

ब. शिक्षा में पीएच0डी0 एवं

स. विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में अथवा शिक्षा महाविद्यालयों में न्यूनतम 10 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो–जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि एम.एड. स्तर पर प्रकाश्ति रचना को लेकर–जो कि उस विद्वान के विशेषज्ञता क्षेत्र में हो–होनी चाहिएँ

बशर्ते कि, उपरोक्त पात्रता मानदण्डों के अनुसार यदि प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष/रीडर की नियुक्ति के लिए सुपात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में–इस बात की अनुमति रहेगी कि किसी भी अवकाश प्राप्त प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष/रीडर जो शिक्षा के विषय में हो–उसे अनुबन्धात्मक आधार पर नियुक्त कर लें, जो कि एक समय में 1 वर्ष की अवधि से अधिक की नहीं होगी और ऐसे अभ्यर्थी द्वारा किसी भी समय बिन्दु तक जब तक वह 6 वर्ष तक पहुँचता हो–वह नियुक्त रहेगा।

ii) सह–प्रोफेसर

अ. कलाओं/मानविकी/विज्ञानों/वाणिज्य एवं एम.एड. में से प्रत्येक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा किसी एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समकक्ष ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)–अथवा

एम.ए.(एजुकेशन) एवं बी.एड. जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में एक समतुल्य ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुकरण किया जा रहा हो)

ब. "एजुकेशन" में पीएच0डी0 तथा

स. विश्वविद्यालय के एजुकेशन विभाग में अथवा एजुकेशन महाविद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष का अध्यापन का अनुभव–जिसमें से न्यूनतम 3 वर्ष एम.एड. स्तर पर रहे हों एवं उसके द्वारा अपनी विशेषज्ञता के सापेक्ष क्षेत्र में प्रकाशित रचनाएँ हों।

iii) सहायक–प्रोफेसर

अ. कलाओं/मानविकी/विज्ञानों/वाणिज्य एवं एम.एड. में से प्रत्येक में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल के अंतर्गत एक समतुल्य ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)–

अथवा

स्नातकोत्तर (एजुकेशन) एवं बी.एड. जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में एक समकक्ष ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो); एवं

ब. प्रिंसिपल एवं प्राध्यापकों के लिए ऐसी कोई भी अन्य अनुबद्धता जिसे समय समय पर यूजीसी/इसी प्रकार के समबद्ध निकाय/राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त की स्थितियों के लिए निर्धारित किया गया हो–वे अनुबद्धताएँ अनिवार्य होंगी।
बशर्ते कि यह वांछनीय माना जाएगा कि एक संकाय सदस्य के पास मनोविज्ञान में सनातकोत्तर डिग्री हो तथा दूसरे सदस्य के पास एम.एड. के अतिरिक्त, दर्शनशास्त्र/समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री हो।

सी. शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अर्हताएँ

i) प्रिंसिपल/प्रमुख

अ. शारीरिक शिक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)

ब. शारीरिक शिक्षा में पीएच0डी0 अथवा शारीरिक शिक्षा में समकक्ष प्रकाशित रचना; एवं

स. 10 वर्ष का अध्यापन का अनुभव–जिसमें से 5 वर्ष का अनुभव शारीरिक शिक्षा अध्यापन का हो।

बशर्ते कि उपरोक्त पात्रता मानदण्डों के अनुसार, सुपात्र एवं उपयुक्त प्रत्याशियों की अनुपलब्धता की स्थिति में–इस बात की अनुमति होगी कि अवकाश प्राप्त प्रिंसिपल/अध्यक्ष–जो शारीरिक शिक्षा के विषय में हों–उन्हें नियुक्त कर दिया जाए जो कि अनुबन्धात्मक आधार पर हो और जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी किसी भी एक अवसर पर यह उसी समय तक जारी रहेगी जब तक कि वह प्रत्याशी 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते।

ii) प्रोफेसर

अ. शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हो (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)

ब. शारीरिक शिक्षा में पीएच0डी0 अथवा समकक्ष प्रकाशित रचना; एवं

स. शारीरिक शिक्षा के विभाग/महाविद्यालय में न्यूनतम 10 वर्ष का अध्यापन/शोध का अनुभव हो जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि किसी स्नातकोत्तर स्तर के संस्थान/विश्वविद्यालय विभाग में अध्यापन का हो।

iii) सह–प्रोफेसर

अ. शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हो (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो)

ब. शारीरिक शिक्षा के विभाग/महाविद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष का अध्यापन/शोध का अनुभव हो, जिसमें से न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव स्नातकोत्तर स्तर के अध्यापन का हो, एवं

स. शारीरिक शिक्षा में पीएच0डी0 अथवा समतुल्य प्रकाशित कार्य।

बशर्ते कि उपरोक्त पात्रता मानदण्डों के अनुसार, यदि किसी स्थिति में सुपात्र अथवा उपयुक्त प्रत्याशियों की नियुक्ति के बारे में अनुपलब्धता बनी रहती है तो इस बात की अनुमति होगी कि किसी अवकाश प्राप्त प्रोफेसर/रीडर––जो शारीरिक शिक्षा में हो–उसकी अनुबन्धात्मक आधार पर नियुक्ति कर दी जाए जो कि किसी भी समय विशेष पर एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगी–तथा यह उस समय तक के लिए होगी जब तक कि वह प्रत्याशी 65 वर्ष की आयु तक पहुँच जाए–जो आयु सीमा/अवधि उसकी अवकाश प्राप्ति के पश्चात् की होगी।

iv) सहायक–प्रोफेसर

अ. शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा किसी पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड–जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) एवं

ब. यू0जी0सी0/इसके समकक्ष किसी संबद्ध निकाय/राज्य सरकार द्वारा प्रिंसिपल एवं प्राध्यापकों के पदों के लिए समय समय पर यदि कोई अन्य अनुबन्धता निर्धारित की गई हों–तो वह अधिदेशात्मक होगी।

4.5.0 लाइब्रेरियन, उप–लाइब्रेरियन एवं विश्वविद्यालय सहायक लाइब्रेरियन/महाविद्यालय लाइब्रेरियन–इन पदों पर प्रत्यक्ष सीधे तौर से नियुक्तियों/भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएँ :–

4.5.1 विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन

i लाइब्रेरी साइंस/सूचना विज्ञान/प्रलेखन में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री अथवा इसके समकक्ष 'बी' ग्रेड जो कि यू0जी0सी0 7 पॉइन्ट स्केल में हो तथा निर्धारित नियमनों के अनुसार निरन्तर श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड हो–

ii विश्वविद्यालय लाइब्रेरी में न्यूनतम 13 वर्ष का उप–लाइब्रेरियन के रूप में अनुभव अथवा महाविद्यालय लाइब्रेरियन के रूप में 18 वर्ष का अनुभव :

iii नवोन्मेषी लाइब्रेरी सेवाओं का एवं प्रकाशित रचनाओं का सुव्यवस्थित रखने का अनुभव /साक्ष्य

iv वांछनीय : एक एम.फिल /पीएच0डी0 डिग्री जो लाइब्रेरी साइंस/ सूचना विज्ञान/ प्रलेखन /पुरालेखों एवं पाण्डुलिपियों के रख–रखाव का हो।

4.5.2 उप – लाइब्रेरियन

i लाइब्रेरी साइंस/सूचना विज्ञान/ प्रलेखन में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री अथवा यू.जी.सी. 7 पाइन्टों के स्केल के अन्तर्गत ग्रेड 'बी' अथवा इसके समकक्ष ग्रेड तथा स्थिरता से युक्त श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड।

ii सहायक विश्वविद्यालय लाइब्रेरियन / महाविद्यालय लाइब्रेरियन के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव।

iii नवोन्मेषी लाइब्रेरी से जुड़ी सेवाओं का साक्ष्य, एवं प्रकाशित रचनाओं की व्यवस्थापना एवं व्यावसायिक तौर से प्रतिबद्धता तथा लाइब्रेरी का कम्प्यूटरीकरण।

iv वांछनीय : एम.फिल./पीएच.डी. डिग्री, जो लाइब्रेरी साइंस/सूचना विज्ञान/ प्रलेखन/ पुरालेखों में हो तथा पाण्डुलिपियों का रख–रखाव/लाइब्रेरी का कम्प्यूटरीकरण

4.5.3 विश्वविद्यालयों में सहायक लाइब्रेरियन /महाविद्यालय में लाइब्रेरियन

i लाइब्रेरी साइंस/सूचना विज्ञान/ प्रलेखन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री, अथवा एक समकक्ष व्यावसायिक डिग्री जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक हों (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) तथा सुसंगत तौर से श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड जिसमें लाइब्रेरी के कम्प्यूटरीकरण की जानकारी भी हो।

ii राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, जो कि इस उद्देश्य से यू.जी.सी. द्वारा अथवा किसी अन्य ऐसी संस्था द्वारा जो कि यू.जी.सी. द्वारा अनुमोदित है–उस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना

iii वैसे, जो भी ऐसे प्रत्याशी हैं जो पीएच0डी0 हैं अथवा जिन्हें यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित (न्यूनतम मानक एवं विधि जो कि पीएच0डी0 प्रदान करने के लिए हैं) नियमनों

2009 के अनुसार यह मिली है, ऐसे प्रत्याशियों को न्यूनतम पात्रता शर्त की अनिवार्यता से छूट होगी– जो शर्त नेट/स्लेट/सेट के अर्न्तगत विश्वविद्यालय में सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा)/शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के महाविद्यालय में निदेशक के पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति के लिए निर्धारित हैं।

4.6.0 शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के निदेशक , शारीरिक शिक्षा एवं खेलकद के निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में उप–निदेशक, एवं सहायक निवेशकों के पदो के लिए न्यूनतम अर्हताएँ

4.6.1 विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के निदेशक

i शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी.।

ii विश्वविद्यालय में उपनिदेशक के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव अथवा विश्वविद्यालय के सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) (प्रवर कोटि) के रूप में 15 वर्ष का अनुभव।

iii न्यूनतम दो, राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/सम्मेलनों में भागीदारी

iv सुसंगत रूप वाली श्रेष्ठ मूल्यांकन रिपोर्टे

v ऐसे अनुशिक्षण शिविर जो न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि के रहे हों, उनको संचालित करने तथा प्रतियोगिताओं को संयोजित करने का साक्ष्य हो।

vi श्रेष्ठ निष्पादन करने वाले दलों को श्रेष्ठ व्यायामी खिलाडियों का निर्माण करने का साक्ष्य हो– जिन खिलाड़ियों द्वारा, राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर /अन्तर विश्वविद्यालय स्तर/ संयुक्त विश्वविद्यालय स्तर वाली प्रतियोगिताओं में भागीदारी की गई हो।

4.6.2 विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद उप–निदेशक / महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद का निदेशक

i शारीरिक शिक्षा में पीएच0डी0 इसके अतिरिक्त, ऐसे प्रत्याशी जो कि विश्वविद्यालय प्रणाली से बाहर की किसी प्रणाली से हैं–तो वे भी कम से कम 55 प्रतिशत अंको के प्राप्तकर्ता हों/अथवा पॉइन्ट स्केल में एक समकक्ष ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) जो अंक स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये गए हों।

ii विश्वविद्यालय के सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद/महाविद्यालय के निदेशक–शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के रूप में आठ वर्ष का अनुभव हो, जिसके

साथ ही पीएच0डी0 धारक/एम.फिल. धारकों को क्रमश : 2 वर्ष एवं एक वर्ष का लाभ मिलेगा।

iii प्रतियोगिताओं के संयोजन का तथा न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि वाले अनुशिक्षण शिविरों को संचालित करने का साक्ष्य हो।

iv श्रेष्ठ निष्पादन करने वाले दलों को/व्यायामी खिलाड़ियों के सृजन का साक्ष्य–जिन्होंने, राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर–विश्वविद्यालय/संयुक्त विश्वविद्यालय इन स्तरों पर भागीदारी की है।

v उन नियमों के अनुसार ही शारीरिक क्षमता परीक्षण को सफलता से पूर्ण किया हो।

iv श्रेष्ठ मूल्य निर्धारण/मूल्यांकन रिपोर्टें।

4.6.3 विश्वविद्यालय में सहायक–निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद/महाविद्यालय में निदेशक–शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद

i शारीरिक शिक्षा में अथवा खेलकूद विज्ञान में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा एक पॉइन्ट स्केल में समकक्ष ग्रेड, जहाँ पर भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो) जिसके साथ ही सुसंगत श्रेष्ठ अकादमिक रिकॉर्ड।

ii यह अभिलेख मौजूद हों कि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का अन्तर–विश्वविद्यालय/अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में अथवा राज्य एवं/अथवा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व रहा हो।

iii राष्ट्रीय स्तर का कोई परीक्षण जो इस उद्देश्य से यू0जी0सी द्वारा अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा जो कि यू0जी0सी द्वारा अनुमोदित हो–संचालित किया गया हो–जिसमें कि अर्हता प्राप्त की हो।

iv इन नियमनों के अनुसार जो शारीरिक क्षमता परीक्षण संचालित हुए थे–उनमें सफल हुए हों।

v वैसे, ऐसे प्रत्याशी, जो कि या तो पीएच0डी0 हैं अथवा जिन्हें पीएच0डी0 प्रदान की गई है, जो कि यू0जी0सी नियम, 2009 के अनुसार हैं (न्यूनतम मानक एवं पीएच0डी0 डिग्री प्रदान करने की प्रणाली) ऐसे सभी प्रत्याशियों को नेट/स्लेट/सैट की न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से छूट होगी–जो शर्तें विश्वविद्यालय सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा/महाविद्यालय निदेशक–शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद) की भर्ती एवं नियुक्ति के लिए हैं।

4.6.4 शारीरिक सक्षमता परीक्षण संबंधी नियमन

अ. इन नियमनों के प्रावधानों के अधीनस्थ–ऐसे समस्त प्रत्याशी जिनके लिए शारीरिक सक्षमता परीक्षण में अनिवार्य रूप से बैठना होता है–उन्हें ऐसे परीक्षणों में बैठने से पूर्व चिकित्सीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि वह (पुरुष/महिला) पूरी तरह से स्वस्थ है।

ब. उपरोक्त उप अनुच्छेद (अ) के अंतर्गत जो व्यक्त किया गया है, प्रत्याशी द्वारा शारीरिक सक्षमता परीक्षण निम्न नियमनों के अनुसार देना होगा।

नियमन जो पुरुषों के लिए हैं।			
12 मिनट वाली दौड़/चलने का परीक्षण			
30 वर्ष तक के	40 वर्ष तक के	45 वर्ष तक के	50 वर्ष तक के
1800 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर

नियमन जो महिलाओं के लिए हैं।			
8 मिनट वाली दौड़/चलने का परीक्षण			
30 वर्ष तक के	40 वर्ष तक के	45 वर्ष तक के	50 वर्ष तक के
1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर

4.7 क्योंकि यू0जी0सी ने उपरोक्त अर्हताओं को अध्यापन से जुड़े समस्त स्तरों के लिए समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में निर्धारित किया है जो कि न्यूनतम मानकों के अनुपालन के लिए हैं तथा यह निर्णय उन सांविधिक परिषदों के परामर्श से हुआ है, जो कि क्रमशः पाठ्यक्रमों के अनुमोदन को नियंत्रित करती हैं–अतः विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में जिनमें इस प्रकार के पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, प्राध्यापकों की नियुक्तियों के लिए अर्हताओं से भविष्य में कोई संशोधन यदि होते हैं–तो वे संशोधन स्वचालित रूप से यू0जी0सी द्वारा स्वीकार्य माने जाएँगे–जोकि इन पाठ्यक्रमों के हेतु निर्धारित अर्हताओं के रूप में माने जाएँगे।

5.0.0 चयन समितियों एवं चयन के लिए दिशा–निर्देश

विधियाँ

यू0जी0सी ने निम्न दिशा–निर्देशों को विकसित किया है :

अ. निम्न पदो के लिए, चयन समिति का गठन :–

सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर, प्रोफेसर, सहायक लाइब्रेरियन, उप–लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के क्षेत्र में सहायक निदेशक, उप–निदेशक एवं निदेशक एवं

ब. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्राध्यापकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए प्रत्यक्ष तौर से भर्ती के लिए तथा कैरियर समुन्नति योजनाओं के लिए चयन प्रणालियों को विशिष्टीकृत किया गया।

5.1.0 चयन समितियों की विशिष्टताएँ

5.1.1 विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर

अ. विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए चयन समिति का गठन निम्न रूप में होगा :

1. कुलपति ही इस चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
2. संबद्ध विश्वविद्यालय के सांविधिक निकाय द्वारा जिन सदस्यों के नामों को अनुमोदित किया गया हो–उनमें से तीन विशेषज्ञ ऐसे होंगे जिन्हें संबद्ध विषय में कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।
3. जहाँ पर भी लागू हो, सम्बद्ध संकाय के डीन
4. अध्यक्ष/प्रमुख, उस विभाग/विषय विभाग के
5. एक अकादमिशियन जिसे विज़िटर/कुलपति द्वारा नामित किया गया हो, यथा स्थान जैसे संभव हो।
6. एक अकादमिशियन जो कि इनका प्रतिनिधित्व करेगा–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाएँ/पृथक तौर से शारीरिक विकलांग श्रेणियों का–जिसको कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति नामिति करेगा–उस स्थिति में जबकि ऐसी किसी भी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्याशी ही आवेदक हो–एवं उपरोक्त चयन समिति के सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों में संबंधित नहीं है।

ब. समिति का कोरम न्यूनतम चार सदस्यों से युक्त होगा–जिनमें से दो सदस्य बाहर से होंगे और विषय विशेषज्ञ होंगे।

5.1.2 विश्वविद्यालय में सह–प्रोफेसर

अ. सह–प्रोफेसर के पद के लिए जो चयन समिति होगी–उसका गठन निम्न रूप में होगा :–

1. उप–कुलपति उस चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
2. एक अकादमिशियन जिसे विज़िटर/कुलपति द्वारा नामित होगा, जहाँ पर भी लागू होगा।
3. पैनल के जो नाम, सम्बद्ध विश्वविद्यालय के उपयुक्त सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित किए गए हैं–उनमें से तीन विशेषज्ञ जो सम्बद्ध विषय में हों/क्षेत्र में हों–जिन्हें उपकुलपति द्वारा नामित किया गया हो।
4. संकाय के डीन, जहाँ पर भी लागू हो,
5. विभागध्यक्ष/प्रमुख
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यकों/ महिलाएँ/ पृथक रूप से शारीरिक विकलांग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अकादमीशियन–यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वालों में कोई प्रत्याशी ही आवेदक है–तो उसे उप–कुलपति द्वारा ही नामित किया जाए, चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से यदि कोई भी इन श्रेणियों में संबंधित नहीं है तो।

ब. समिति के कोरम का गठन करने के लिए न्यूनतम चार सदस्य होंगे–जिनमें से दो विषय विशेषज्ञ अन्य स्थानों से होंगे।

5.1.3 विश्वविद्यालय में प्रोफेसर

जैसा कि उपरोक्त धारा 5.2.2 के अंतर्गत सह प्रोफेसर के पद के लिए समिति का गठन की चर्चा की गई है, ठीक उसी प्रकार से ही प्रोफेसर के पद के लिए चयन समिति का गठन किया जाएगा।

5.1.4 महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर–जिनमें निजी महाविद्यालय भी हैं–

(अ) महाविद्यालयों में–जिनमें निजी महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं–उनमें सहायक प्रोफेसर के पद के लिए चयन समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा :–

1. इस चयन समिति का अध्यक्ष, महाविद्यालय के शासीनिकाय का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति, जो उनके सदस्यों में होगा–वही चयन समिति का अध्यक्ष होगा।
2. महाविद्यालय का प्रिंसिपल
3. महाविद्यालय में सम्बद्ध विषय के विभागाध्यक्ष
4. संबद्ध विश्वविद्यालय के उप– कुलपति की ओर से नामित दो व्यक्ति हों, जिनमें से एक व्यक्ति विषय विशेषज्ञ होना चाहिएँ ऐसे महाविद्यालय, जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के रूप में अधिसूचित/घोषित कर दिया गया है, उस स्थिति में कॉलेज अध्यक्ष की ओर से दो नामित व्यक्ति – पाँच व्यक्तियों की नामसूची में से होंगे जो कि अधिमान्य तौर से अल्पसंख्यक समुदायों से हों– जिन्हें सम्बद्ध

विश्वविद्यालय के उप–कुलपति द्वारा, विशेषज्ञों की उस तालिका में से अनुशंसित किया गया हो, जिस तालिका को सापेक्ष सांविधिक निकाय ने प्रस्तावित किया हो–तथा जिनमें से एक व्यक्ति विषय विशेषज्ञ हो।

5. महाविद्यालय के शासी निकाय के द्वारा ऐसे दो विषय–विशेषज्ञों को नामित किया जाना चाहिए जो उस महाविद्यालय से जुड़े हुए नहीं हों– और जिन व्यक्तियों को उप–कुलपति द्वारा, विषय –विशेषज्ञों की उस सूची में से अनुशंसित किया गया हो, जिस सूची को सम्बद्ध विश्वविद्यालय के प्रासंगिक सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदत किया गया हो। ऐसे महाविद्यालय, जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के रूप में अधिसूचित /घोषित कर दिया गया है– उस स्थिति में उस सम्बद्ध महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा दो ऐसे विषय विशेषज्ञों को नामित किया जाना चाहिए, जिनका विश्वविद्यालय से संबंध न हो, और जिनको, उन पाँच व्यक्तियों की सूची में से नामित किया गया हो, जो अधिमानत : अल्पसंख्यक समुदाय से हों– और उस सूची की अनुशंसा उपकुलपति द्वारा विशेषज्ञों की उस सूची में से की गई हो – जिसे कि महाविद्यालय की संबंद्ध सांविधिक निकाय द्वारा अनुशंसित किया गया हो।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाएँ / पृथक रूप से अपंग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व एक अकादमीशियन द्वारा किया जाना चाहिए ऐसी स्थिति में जबकि उन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्याशियों में ही कोई एक व्यक्ति ही आवेदक हो; तथा उस अकादमीशियन को उप– कुलपति द्वारा नामित किया जाना चाहिए–उस स्थिति में, यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से सम्बद्ध नहीं है।

(ब) चयन समिति की बैठक के लिए पाँच व्यक्तियों का कोरम गठित किया जाये– जिस मीटिंग में–तीन विषय विशेषज्ञों में से– कम से कम दो को वहाँ उपस्थित रहना होगा।

(स) सरकारी महाविद्यालयों में समस्त अध्यापन स्तर वाले पदों के लिए राज्य सार्वजनिक सेवा आयोंगों/अध्यापक भर्ती बोर्डों द्वारा अनिवार्य तौर से तीन विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करना चाहिए– जिसके लिए सम्बद्ध विश्वविद्यालय को भी, चयन प्रक्रिया में, राज्य सार्वजनिक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित किया जाना चाहिएँ

(ड) किसी भी विश्वविद्यालय के आंगिक महाविद्यालयों में अध्यापन पदो के समस्त स्तरों के लिए, चयन समिति के मानदण्ड वे ही होंगे जैसे कि उस विश्वविद्यालय के विभागों में विद्यमान पदों के लिए हैं।

5.1.5 महाविद्यालयों में जिनमें निजी महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं—सह—प्रोफेसर

(अ) समस्त महाविद्यालयों में जिनमें निजी महाविद्यालय भी शामिल हैं उनमें सह—प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में निम्न संयोजन होगा :

1. शासी निकाय के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित जो कि शासी निकाय के सदस्यों में से ही एक हो, वे ही चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
2. महाविद्यालय के प्रिंसिपल
3. महाविद्यालय के संबद्ध विषय के विभागाध्यक्ष
4. उपकुलपति द्वारा नामित, विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधि, जिनमें से एक होंगे महाविद्यालय विकास परिषद् के डीन अथवा इसके ही समतुल्य स्तर वाले व्यक्ति तथा दूसरा व्यक्ति, उस संबद्ध विषय का विशेषज्ञ होना चाहिएँ ऐसे महाविद्यालय जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के रूप में अधिसूचित/घोषित कर दिया गया है—उस स्थिति में उस सम्बद्ध महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा दो ऐसे विषय विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए जिनका संबंध विश्वविद्यालय से नहीं हो और जिन को उन पाँच व्यक्तियों की सूची में से नामित किया गया हो जो अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से हों—और जिस सूची की अनुशंसा उपकुलपति द्वारा विशेषज्ञों की सूची में से की गई है जिस सूची को महाविद्यालय की संबद्ध सांविधिक निकाय द्वारा अनुशंसित किया गया है, जिनमें से एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिएँ
5. महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा ऐसे दो विषय विशेषज्ञों को नामित किया जाना चाहिए जो उस महाविद्यालय से जुड़े हुए नहीं हों—और जिन व्यक्तियों को उपकुलपति द्वारा, विषय विशेषज्ञों की उस सूची में से अनुशंसित किया गया हो—जिस सूची को सम्बद्ध विश्वविद्यालय के प्रासंगिक सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया हो। ऐसे महाविद्यालय जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के रूप में अधिसूचित/घोषित कर दिया गया है—उस स्थिति में उस संबद्ध महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा ऐसे दो विषय विशेषज्ञों को नामित किया जाना चाहिए, जिनका विश्वविद्यालय से कोई संबंध नहीं हो और जिनको पाँच व्यक्तियों की सूची में से नामित किया गया हो जो अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदाय से हों—और जिस सूची की अनुशंसा, उपकुलपति द्वारा, विशेषज्ञों की उस सूची में से की गई है—जो कि महाविद्यालय की संबद्ध सांविधिक निकाय के द्वारा अनुशंसित की गई थी।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाएँ / पृथक् रूप से अपंग—इन सभी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व एक अकादमीशियन द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में जबकि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्याशियों में से ही कोई एक व्यक्ति आवेदक हो—तथा उस अकादमीशियन को

उप–कुलपति द्वारा नामित किया जाना चाहिए–उस स्थिति में यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से सम्बद्ध नहीं है।

(ब) चयन समिति की मीटिंग के लिए पाँच व्यक्तियों का कोरम गठित किया जाए–जिस मीटिंग में–तीन विषयों के विशेषज्ञों में से–कम से कम दो को वहाँ उपस्थित रहना होगा।

5.1.6 महाविद्यालय के प्रिंसिपल

(अ) महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद के लिए जो चयन समिति होगी, उस समिति का संयोजन निम्नलिखित प्रकार से होगा :

1. शासी निकाय के अध्यक्ष ही, इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
2. अध्यक्ष द्वारा जिन दो शासी निकाय के सदस्यों को नामित किया जाए, उनमें से एक व्यक्ति शैक्षिक प्रशासन का विशेषज्ञ होना चाहिएँ
3. उप–कुलपति द्वारा नामित एक व्यक्ति उच्च शिक्षा विशेषज्ञ होगा। ऐसे महाविद्यालय जिन्हें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के रूप में घोषित किया गया है–वह व्यक्ति पाँच सदस्यों वाली समिति में से एक हो–जो महाविद्यालय के अध्यक्ष द्वारा नामित एवं अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बद्ध हो तथा जिसकी अनुशंसा सम्बद्ध विश्वविद्यालय के उप–कुलपति द्वारा एक विषय विशेषज्ञ के रूप में की गई हो।
4. तीन विशेषज्ञ–जिनमें महाविद्यालय के प्रिंसिपल, एक प्रोफेसर एवं एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् जो कि प्रोफेसर से न्यूनपद वाले न हों (जिन्हें महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा नामित किया जाना है।) जो कि छः विशेषज्ञों की सूची में होंगे–जिसे कि संबद्ध सांविधिक, विश्वविद्यालय के निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया हो।
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिलाएँ / पृथक् तौर से सक्षम श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अकादमीशियन हों यदि उपरोक्त श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति ही आवेदक हो–अथवा यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी उस श्रेणी से संबद्ध नहीं हो तो उनको उप–कुलपति द्वारा मनोनीति किया जाना है।

(ब) चयन समिति की संरचना में कम से कम पाँच सदस्य हो–जिनमें से दो विशेषज्ञ हों।

(स) चयन समिति की समस्त कार्यवाहियाँ उनकी मीटिंग के दिन ही सम्पूर्ण हो जाएँगी–जिसमें मीटिंग का कार्यवृत्त दर्ज किया जाएगा जिसमें चयनित का ब्यौरा तथा श्रेष्ठता के आधार पर जो भी अनुशंसा की गई–चयनित की सूची तथा प्रतीक्षा सूची वाले प्रत्याशी/श्रेष्ठता के आधार पर नामों की सूची जो सभी दस्तावेज चयन समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

5.1.7 शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में, निदेशकों, उपनिवेशकों सहायक निदेशकों, उप–लाइब्रेरियनों एवं सहायक लाइब्रेरियनों के लिए जो चयन समितियाँ नियुक्त होगीं वे ही चयन समितियाँ होंगी, जो कि प्रोफेसर, सह–प्रोफेसर, सहायक–प्रोफेसर, इनके लिए होगी और इसके अतिरिक्त, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद, खेलकूद प्रशासन में, अथवा लाइब्रेरी में जो संबंध विशेषज्ञ होगा या अभ्यासव्रत लाइब्रेरियन/ शारीरिक शिक्षा का विशेषज्ञ होगा–जैसी भी स्थिति विद्यमान होगी–वह भी चयन समिति के साथ विषयगत विशेषज्ञों के रूप में संबद्ध रहेगा।

6.0.0 चयन प्रक्रियाएँ

6.0.1 समग्र चयन प्रक्रियाओं में आवेदकों की योग्यताएँ एवं उनके प्रत्यायकों के विश्लेषण से जुड़ी, पारदर्शी, उद्देश्यपरक एवं विश्वसनीय प्रविधि को सम्मिलित किया जायेगा– और यह समस्त बातें आधारित होंगी उन अधिमानताओं पर जो कि किसी भी प्रत्याशी के उस निष्पादन पर दी जायेगी–जिस निष्पादन को विभिन्न आयामों में ख्याति अर्जन के रूप में किया गया है। तथा क्रमश : यह समस्त उपरोक्त विवरण उन शैक्षिक निष्पादन सूचकों (ए.पी.आई.) पर आधारित रहेगा जिन सूचकों का प्रावधान इन नियमनों के अन्तर्गत तालिकाओं i से ix तक संलग्नक xii के द्वारा किया गया है।

इस लक्ष्य से कि यह प्रणाली और अधिक विश्वस्त बने, विश्वविद्यालयों द्वारा अध्यापन अथवा शोध प्रवृत्ति के प्रति क्षमता को निर्धारित करने के लिए– किसी विचार गोष्ठी के आयोजन द्वारा अथवा कक्षाकक्ष में विद्यमान वातावरण द्वारा अथवा परस्पर ऐसी चर्चा द्वारा प्राप्त किया जाये अथवा इस बात पर चर्चा होनी चाहिये कि विचाराधीन स्तर पर अध्यापन एवं शोध कार्य में अद्यतन तकनीक की क्षमता का उपयोग कैसे किया जाएँ

इन समस्त प्रविधियों का अनुसरण–प्रत्यक्ष भर्ती एवं सी.ए.एस. प्रोन्नितयों के लिए किया जा सकता है–जैसा कि इन नियमों के अन्दर चयन समितियों द्वारा निर्धारित किया गया है।

6.0.2 विश्वविद्यालय अपने सांविधिक निकायों द्वारा चयन समितियों और चयन प्रक्रियाओं के लिए इन विनियमों को अंगीकार करेंगे जिसमें विश्वविद्यालय के विभागों और उनके घटक/संबद्ध कॉलेजों (सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/स्वायत्तशासी/निजी कॉलेज) को सभी चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के लिए निष्पादन आधारित अकादमी निष्पादन सूचक (ए.पी.आई.) और निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी0बी0ए0एस0) अपनाना होगा । ए0पी0आई0 आधारित पी0बी0ए0एस0 के आधार पर सीधी भर्ती और कैरियर प्रगति योजना (सी. ए.एस.) के लिए सूचक पी0बी0ए0एस0 सॉचा प्रारूप को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वरा अलग से विश्वविद्यालयों को भेजा जाएगा । विश्वविद्यालय सॉचा प्रारूप को अंगीकार करें या वे इन विनियमों के विहित पी0बी0ए0एस0 आधारित ए.पी.आई. मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के लिए शिक्षकों हेतु अपना स्वतः मूल्यांकन सह निष्पादन मूल्यांकन फार्म बनाएँ ।

6.0.4 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य अकादमिक कर्मचारियों की सीधी भर्ती के लिए सभी चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अ.पि.व./अल्पसंख्यक/महिला/अन्य विभिन्न श्रेणियों के अकादमीविद्, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्वि करने वाला कोई व्यक्ति अभ्यर्थी है और चयन समिति का कोई सदस्य उस श्रेणी से संबंधित नहीं है, उसका नामांकन विश्वविद्यालय के उप–कुलपति या कार्यवाहक उप–कुलपति, कॉलेज के मामले मे उस कॉलेज के विश्वविद्यालय के उप–कुलपति कार्यवाहक उप–कुलपति द्वारा किया जाएगा । प्रयोजन के लिए नामित अकादमीविद् अभ्यर्थी से एक संवर्ग ऊपर होंगे और ऐसे नामिती यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त वर्णित श्रेणियों के संबंध में संबंधित केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के मानदंडों का पालन चयन प्रक्रियाके दौरान कड़ाई से करेंगे ।

6.0.5 (1) विभिन्न विषय के डाटाबेस द्वारा सूचीबद्ध प्रकाशन के प्रलेखन के अतिरिक्त, संबंधित विश्वविद्यालय विषय समिति(यों) के विशेषज्ञों और आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. के माध्यम से ये कार्य करेंगे – (क)

संबंधित विषय (यों) राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर पर मानक पत्रिकाओं की विस्तृत सूची तैयार करेंगे और (ख) भारतीय भाषाओं की पत्रिकाओं/पत्रों/अन्य प्रकाशनों संबंधी पुस्तकों की विस्तृत सूची तैयार करेंगे और उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डालेंगे एवं जिसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जाएगा ।

(2) संबंधित राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समन्वयन समिति द्वारा भारतीय भाषायी प्रकाशनों के स्तर का निर्धारण राज्य में स्थित विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाएगा ।

(3) अभ्यर्थी की नियुक्ति/पदोन्नति के दौरान उसके प्रकाशनों के स्तर का मूल्यांकन करते समय चयन समितियों को उक्त दो सूचियाँ उपलब्ध करानी होंगी जिन पर चयन समितियों द्वारा अन्य विषय विशेष के डाटाबेस के साथ विचार किया जाएगा ।

(4) जहाँ तक विश्वविद्यालय वार भारतीय भाषाओं की स्वीकृति की बात है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यथा साम्य रूप से ऐसे प्रकाशनों एवं अन्य सामग्रियों की स्वीकार्यता तथा पत्रिकाओं के समान गुणवत्ता हेतु समिति का गठन करेगा ।

6.0.6 एक एसोसिएट प्रोफेसर के चयन प्रक्रियामें संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा इस विनियमन और अलग से दिए गए प्रारूप में ए0पी0आई0 मानदण्ड के आधार पर निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी0बी0ए0एस0) का ब्यौरा बायोडाटा में विधिवत देना होगा । बिना किसी पूर्वाग्रह के इस विनियमन के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर के चयन हेतु निर्धारित मानदंडों हेतु कॉलेज में सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर में पदोन्नति हेतु निम्नलिखित अनुसंधान प्रकाशनों को निर्धारित किया जाएगा ।

(क) वे जिनके पास पीएच0डी0 डिग्री है उन्होंने सहायक प्रोफेसर की सेवावधि के दौरान कम से कम एक प्रकाशन किये हो;

(ख) जिनके पास एम.फिल. डिग्री है, उन्होंने सहायक प्रोफेसर की सेवावधि के दौरान दो प्रकाशन करया हो; और

(ग) जिनके पास पीएच0डी0 या एम.फिल. डिग्री नहीं है, उन्होंने सहायक प्रोफेसर की सेवावधि के दौरान कम से कम तीन प्रकाशन किया होंगे।

बशर्ते, जहाँ तक विश्वविद्यालय में शिक्षकों की बात है, सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर में पदोन्नति के लिए उक्तवर्णित तीनों श्रेणियों के लिए तीन प्रकाशन अनिवार्य होगें ।

बशर्ते, साक्षात्कार से पहले ऐसे प्रकाशनों को विषय के विशेषज्ञों को उपलब्ध कराया जाएगा और विशेषज्ञों द्वारा दिए गए प्रकाशन के मूल्यांकन अंकों को, चयन समिति द्वारा चयन के परिणाम को अंतिम रूप देते समय, वेटेज दिया जाएगा ।

6.0.7 प्रोफेसरके चयन की प्रक्रियामें बायोडाटा आमंत्रित करना होगा जिसमें संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए इस विनियमन के निर्धारित पी0बी0ए0एस0 सेट पर आधारित ए0पी0आई0 मानदंडों तथा अभ्यर्थी के पॉच बड़े प्रकाशनों तथा उनके पुनः प्रकाशन के आधार पर निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी0बी0ए0एस0) को विधिवत भरना होगा ।

बशर्ते अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे समस्त प्रकाशनों को उस अवधि से पूर्व ही प्रकाशित किया गया हो जिस अवधि से उस शिक्षक को सहायक प्रोफेसर चरण–दो के लिए नियुक्त किया गया हो ।

बशर्ते यही कि ऐसे प्रकाशन को साक्षात्कार के पहले विषय विशेषज्ञ को उपलब्ध कराया जाएगा और विशेषज्ञों द्वारा प्रकाशन के मूल्यांकन व चयन को अंतिम रूप देते समय वेटेज दिया जाएगा ।

6.0.8 ऐसे प्रोफेसरों के चयन के मामले में जो अकादमी के विषय के बाहर के हैं और जिन पर खण्ड 4.1.0 (ख) के अंतर्गत विचार किया जाता है, विश्वविद्यालयों के सांविधिक निकाय स्तर मानदंड और प्रक्रिया का निर्धारण करेंगे ताकि केवल ऐसे उत्कृष्ट

व्यावसायी जो कि, विश्वविद्यालय की ज्ञान प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, का चयन किसी विषय में आवश्यकता के अनुरूप किया जाए ।

6.0.9 प्रोफेसरके चयन की प्रक्रिया में अकादमिक कार्य निष्पादन सूचक (ए0पी0आई0) की अंग प्रणाली सीधी भर्ती के प्रोफेसरों के समान होगी । इसके अतिरिक्त चयन समिति वेटेज के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों का मूल्यांकन करेगी:

क. शिक्षण, अनुसंधान और प्रकाशन का मूल्यांकन (20 प्रतिशत);

ख. स्पष्ट और प्रभावी तरीके से सम्प्रेषण करने की क्षमता (10 प्रतिशत)

ग. संस्थानों के कार्यक्रम को बनाने की योग्यता, पाठ्यक्रम के विस्तार का विश्लेषण और उस पर चर्चा एवं अनुसंधान सहायता तथा कॉलेज के विकास/प्रशासन का कार्य (20 प्रतिशत); और

घ. व्याख्यान देने की क्षमता संबंधी कार्यक्रम जिसका निर्धारण अभ्यर्थी द्वारा समूह चर्चा में भाग लेकर या कक्षा समान स्थिति में व्याख्यान देकर लगाया जा सकता है (10 प्रतिशत); और

ड़. इन विनियमों के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए प्राफार्मा में निष्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी0बी0ए0एस0) के आधार पर अभ्यर्थी के गुणों और प्रत्यय पत्र का विश्लेषण (कुल ए0पी0आई0 अंको में 40 प्रतिशत तक की कमी) ।

6.0.10 कुछ विषयों/क्षेत्रों जैसे संगीत और ललित कला, विजुअल आर्ट एवं परफार्मिंग आर्ट, शारीरिक शिक्षा और पुस्तकालय जिनकी अपनी अलग तरह की प्रकृति है, के पदो के चयन प्रक्रियामें प्रत्येक पदो के इन विनियमों में निर्धारित कार्यो पर ज्यादा बल दिया जाए । इसे संबंधित संस्थानों द्वारा सीधी भर्ती और सी0ए0एस0पदोन्नति दोनों के लिए ए0पी0आई0 आधारित पी0बी0ए0एस0 प्रारूप तैयार करते समय इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

6.0.11 वि.अ.आ./राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष कुलपति (विश्वविद्यालय के मामले में) और प्रोफेसर(कॉलेजों के मामले में) होंगे । आईक्यूएसी संस्थान के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अलग से बनाए गए सूचक सांचा का प्रयोग करते हुए पी0बी0ए0एस0 प्रोफार्मा आधारित एपीआर के मानदंड के विकास में सहायता सहित और दस्तावेज रख्ररखाव प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करेगा । आइक्वूएसी, यथव्यवहार्य, पी0बी0ए0एस0 में प्रत्येक शिक्षक का छात्रों द्वारा मूल्यांकन के घटक के बिना शामिल किए, एनएएसी के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यार्थी फीडबैक प्रणाली शुरू करे ।

6.1.0 जबकि ए0पी0आई0

(क) परिशिष्ट–तीन की सारणी–एक और तीन विश्वविद्यालययों और कॉलेजों में प्रोफेसरों/एसोसिएट प्रोफेसरों पर लागू है;

(ख) परिशिष्ट–तीन की सारणी चार, पांच और छह शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के निदेशकों/उप निदेशकों/सहायक निदेशकों पर लागू है; और

(ग) परिशिष्ट–तीन की सारणी सात, आठ और नौ सीधी भर्ती तथा कैरियर एडवांसमेंट पदोन्नति दोनों के पुस्तकालयाध्यक्षों/उप–पुस्तकालयाध्यक्षों और सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों पर लागू है ।

प्रत्येक संवर्ग के लिए श्रेणीवार ए0पी0आई0 अंक का न्यूनतम अनुपात/प्रतिशत विश्वविद्यालयों के शिक्षकों तथा यू0जी0/पी0जी0 कॉलेज के शिक्षकों, जैसा कि परिशिष्ट–तीन की सारणी में दिया गया है, से अलग होगा ।

6.2.0 उपर्युक्त संवर्गों के लिए सीधी भर्ती व कैरियर प्रगति योजनाओं के विनियमों के लिए चयन समितियों और चयन प्रक्रियाओं एवं ए0पी0आई0 अंक की आवश्यकताएँ समान होंगी । तथापि, चूंकि सीधी भर्ती से आए शिक्षक अलग पृष्ठभूमि और संस्थानों को हो सकते हैं इसलिए परिशिष्ट – तीन की सारणी दो (ग) शिक्षकों के विभिन्न संवर्गों की सीधी भर्ती के लिए मानदंड निर्धारित करता है जबकि सारणी 2 (क) और 2 (ख)

शिक्षकों का क्रमशः विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सी0ए0एस0 पदोन्नतियों का प्रावधान करती है, जो इन अंतरों को पाट देता है ।

6.3.0 सी0ए0एस0 पदोन्नति में 31.12.2008 से भूतलक्षी प्रभाव से सूचना को एकत्र करने और इन विनियमों के क्रियान्वयन में कठिनाइयों को समाप्त करने के उपाय के रूप में ए0पी0आई0 आधारित पी0बी0ए0एस0 को प्रगामी और भविष्य लक्षी प्रभाव से शुरू किया जाएगा । तदनुसार, जैसाकि इन सारणियों में उल्लिखित है, श्रेणी एक और दो का ए0पी0आई0 के अंकों के आधार पर पी0बी0ए0एस0 को एक वर्ष के लिए क्रियान्वित करना है जो विश्वविद्यालयों/कॉलेजों की वर्तमान प्रणाली में सारणी–दो (क) और दो (ख) के लिए न्यूनतम वार्षिक अंक एक वर्ष के लिए हो, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों या पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक शिक्षा एवं खेल संवर्गों, जैसाकि सारणी पाँच (क) और पाँच (ख), सारणी आठ (क) और आठ (ख) में वर्णित है क्रमशः होगा । वर्षीयकृत ए0पी0आई0 अंकों को प्रगामी रूप से सहयोजित किया जा सकता है जब शिक्षक अगले संवर्ग में सी0ए0एस0पदोन्नति के लिए योग्य हो जाएँ अतः यदि किसी शिक्षक को 2010 में सी0ए0एस0पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है तो केवल 2009–10 की ए0पी0आई0 अंकों के मूल्याँकन की आवश्यकता होगी । किसी शिक्षक के 2011 में सी0ए0एस0 पदोन्नति पर विचार के मामले में इन श्रेणियों के दो वर्षों को ए0पी0आई0 अंकों के औसत की आवश्यकता मूल्याँकन और अन्य कार्यों के लिए होगी जिससे अवधि का संपूर्ण मूल्याँकन प्रभावी रूप से होगा । श्रेणी तीन के लिए (अनुसंधान और अकादमिक योगदान) ए0पी0आई0 अंक से पूर्ण मूल्याँकन अवधि के लिए लागू होगा ।

6.3.1 सी0ए0एस0 के अंतर्गत पदोन्नति पाने हेतु विचार किए जाने वाले शिक्षक को निर्धारित तिथि से तीन माह पूर्व अपने विश्वविद्यालय/कालेज को लिखित रूप में यह बताना होगा कि वह सी0ए0एस0के अंतर्गत सभी अर्हताएँ पूरी करता/करती है और उसे विश्वविद्यालय/कॉलेज को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया निष्पादन आधारित मूल्याँकन प्रणाली प्रोफार्मा प्रस्तुत करना होगा जिसके साथ इन विनियमों में निर्धारित ए0पी0आई0 दिशानिर्देशों के अनुसार साख पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

सी0ए0एस0 के अधीन विभिन्न स्थितियों में चयन समिति की बैठक आयोजित करने में विलंब से निपटने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज तुरंत छानबीन/चयन समिति की प्रक्रियाशुरू करे तथा आवेदन की तिथि से छह माह के भीतर प्रक्रियाको पूर्ण करे। इसके अलावा किसी भी कठिनाई से निपटने के लिए 31 दिसंबर, 2008 को या इस विनियमन के अधिसूचित होने तक इन विनियमों में निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी को उस तिथि या 31 दिसंबर, 2008, जिस तिथि को वे अर्हता की शर्तों को पूरा करते हैं, जोकि उपर्युक्त वर्णित है, से पदोन्नति की जाए ।

6.3.2 परिशिष्ट तीन की सारणी–दो (क और ख) के विनियमों प्रस्तावित ए0पी0आई0 अंकों के अधीन न्यूनतम आवश्यक अंक न पाने वाले अभ्यर्थी या वे जो चयन प्रक्रियाके विशेषज्ञता मूल्यॉंकन में 50 प्रतिशत से कम अंक पाते हैं, उनका न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के बाद पुनः मूल्यॉंकन किया जाए । पदोन्नति की तिथि वह होगी जिस तिथि को वह पुनः मूल्यॉंकन में सफल हो जाता/जाती है ।

6.3.3 चयन समिति के प्रावधान, जिसका उल्लेख 5.1.0 से 5.1.7 के खण्डों में हुआ है, शिक्षकों की संख्या पर सभी सीधी भर्ती और सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर में वृत्ति उन्नति पदोन्नति और एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर बनने में लागू होंगे ।

6.3.4 सहायक प्रोफेसर के निम्नलिखित संवर्ग से उच्च संवर्ग सी0ए0एस0 पदोन्नति "छानबीन सह मूल्यॉंकन समिति" द्वारा परिशिष्ट–तीन की तालिका में बी0पी0ए0एस0 में ए0पी0आई0 अंक रूप में निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए किया जाएगा ।

6.3.5 एक ए0जी0पी0 से दूसरे उच्च ग्रेड ए0जी0पी0 में पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक शिक्षा में सहायक प्रोफेसर/समान संवर्ग के सी ए एस पदोन्नति हेतु "छानबीन–सह मूल्यॉंकन समिति" में निम्नलिखित शामिल होंगे –

6.3.5.1 विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए:

क. कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में;

ख. संबंधित संकाय के अधिष्ठाता;

ग. विभागाध्यक्ष/स्कूल के अध्यक्ष; और

घ. कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की समिति में से विषय का नामित विशेषज्ञ ।

6.3.5.2 कॉलेज के शिक्षकों के लिए:

क. कॉलेज के प्राचार्य;

ख. कॉलेज के संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष;

ग. कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के पैनल में से संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ;

6.3.5.3 उपर्युक्त दोनों श्रेणियों की इन समितियों की गणपूर्ति में विषय विशेषज्ञता/विश्वविद्यालय के नामिती को उपस्थित होना जरूरी सहित तीन व्यक्ति होंगे ।

6.3.6 इन विनियमों पर आधारित संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा तैयार पी0बी0ए0एस0 प्रणाली के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त ए0पी0आई0 के सत्यापन/मूल्यॉंकन और सहायक प्रोफेसर के प्रत्येक संवर्ग के (क) की तालिका–दो और तीन, शारीरिक शिक्षा और खेल–कूद के प्रत्येक संवर्ग के लिए (ख) की तालिका पॉंच और छह; एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के प्रत्येक संवर्ग के लिए तालिका आठ और नौ में विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर 'छानबीन–सह–मूल्यॉंकन' समिति विश्वविद्यालय के सिंडीकेट/कार्यकारी परिषद्/प्रबंधन से सी0ए0एस0 के अंतर्गत पदोन्नति की उपयुक्तता संबंधी क्रियान्वयन की सिफारिश करेगी ।

6.3.7 उपर्युक्त सभी चयन प्रक्रियाचयन समिति की बैठक के दिन ही पूरा की जाएगी, जिसमें पी0बी0ए0एस0 अंक प्रोफार्मा एवं मेरिट के आधार पर की गई सिफारिशों सहित कार्यवृत्त किया जाएगा और कार्यवृत्त पर चयन समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा ।

6.3.8 सी0ए0एस0 पदोन्नति पदधारी शिक्षक को वैयक्तिक पदोन्नति होने के नाते वह मूल पद धारण करता है और उसकी सेवानिवृत्ति में उक्त पद से अपने मूल संवर्ग में वापस चला आएगा ।

6.3.9 पदधारी शिक्षक को चयन समिति द्वारा चयन/सी0ए0एस0 पदोन्नति की तारीख तक विश्वविद्यालय/कॉलेज की सक्रिय सेवा की भूमिका में होना चाहिए ।

6.3.10 अभ्यर्थी यदि चाहते हैं कि पदोन्नति के मूल्याँकन हेतु उन पर विचार किया जाए और यदि वे सम्यक् ए0पी0आई0 प्रणाली में निर्दिष्ट न्यूनतम ए0पी0आई0 की पात्रता पूरी करते हैं, तो वह अपेक्षित पी0बी0ए0एस0 प्रोफार्मा में आवेदन प्रस्तुत करें । यदि वे स्वयं को पात्र मानते हैं तो वे निर्धारित तिथि से तीन महीने पहले ऐसा कर सकते हैं । वे अभ्यर्थी जो स्वयं को इसके योग्य नहीं मानते वे भी बाद की तारीख में आवेदन कर सकते हैं । संबंधित विश्वविद्यालय प्रत्येक स्थिति में योग्य अभ्यर्थियों से पदोन्नति के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए वर्ष में दो बार समान परिपत्र जारी करेगा ।

6.3.11 अंतिम मूल्याँकन में यदि कोई अभ्यर्थी पी0बी0ए0एस0 प्रोफार्मा के मानदंडों के अंतर्गत न्यूनतम ए0पी0आई0 के मानक को पूरा नहीं करता है या विशेषज्ञों के मूल्याँकन में 50 प्रतिशत से कम पाता है, जहाँ कहीं लागू हो, ऐसे अभ्यर्थी का पुनर्मूल्याँकन कम से कम एक वर्ष बाद होगा ।

6.3.12 (क) यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता के पूर्ण होने के बाद आवेदन करता है और सफल हो जाता है तो पदोन्नति की तिथि न्यूनतम पात्रता अवधि से होगी ।

(ख) यदि, तथापि अभ्यर्थी को पता चलता है कि वह बाद की तिथि से अर्हता की शर्त पूरी करता है/करती है और उस तिथि को आवेदन करता/करती है और सफल हो जाता/हो जाती है तो उसका/उसकी पदोन्नति अर्हता पूरी करने की तारीख से लागू होगी ।

(ग) यदि अभ्यर्थी पहले प्रयास में सफल नहीं होता बल्कि अंतिम प्रयास में सफल होता है तो उसकी पदोन्नति सफलता पूर्ण मूल्यॉकन वाली बाद की तिथि से मानी जाएगी ।

6.4.0 पदधारियों और नवनियुक्त सहायक प्रोफेसरों/एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों का वृत्ति उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति के चरण

6.4.1 प्रवेश स्तर पर सहायक प्रोफेसर (चरण–एक) वृत्ति उन्नति योजना (सीएएस) के अंतर्गत दो पावती चरणों (चरण दो और चरण तीन) के बाद पदोन्नति के लिए पात्र होंगे बशर्ते पात्रता और कार्य निष्पादन मानदंड, जैसाकि इस विनियम के खण्ड 6.3 में निर्धारित है, के अनुरूप उनका मूल्यॉकन किया जाए ।

6.4.2 प्रवेश स्तर पर सहायक प्रोफेसर, जिनके पास संबंधित विषय में पीएच0डी0 की डिग्री है, चार वर्ष के सहायक प्रोफेसर की सेवा के बाद अगले उच्च संवर्ग (चरण–2) में जाने के पात्र होंगे ।

6.4.3 प्रवेश के स्तर पर सहायक प्रोफेसर जिन्होंने एम0 फिल0 डिग्री या साँविधिक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे एलएलएम/एमटेक आदि परास्नातक डिग्री ली है, सहायक प्राफेसर के पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद अगले उच्च संवर्ग (चरण–दो) के लिए पात्र होंगे ।

6.4.4 प्रवेश के स्तर पर सहायक प्रोफेसर जिन्होंने संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पीएच0डी0 या एम0फिल0 या स्नातकोत्तर डिग्री करनी है, सहायक प्राफेसर के छह वर्ष की सेवा के बाद अगले उच्च संवर्ग (चरण–दो) के लिए पात्र होंगे ।

6.4.5 सभी सहायक प्रोफेसरों के लिए प्रवेश स्तर (चरण–एक) से अगले उच्च संवर्ग (चरण–दो) में पहुंचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस विनियम में बनाए ए0पी0आई0 आधारित पी0बी0ए0एस0 की शर्तों के अधीन होगा ।

6.4.6 सहायक प्रोफेसर जिन्होंने दूसरे ग्रेड (चरण–दो) में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण की है, वे अगले उच्च ग्रेड (चरण–तीन) में पदोन्नत होंगे जोकि इस विनियम में बनाए ए0पी0आई0 आधारित पी0बी0ए0एस0 की शर्तों के अधीन होगा ।

6.4.7 सहायक प्रोफेसरजिन्होंने तीसरे संवर्ग (चरण–तीन) में तीन वर्ष का शिक्षण कार्य पूर्ण किया है, वे अगले उच्च संवर्ग (चरण–चार) में पदोन्नति और सह–प्रोफेसरके रूप में पदस्थापित होने के पात्र होंगे जो कि अर्हता की शर्तों और इन विनियमों में निर्धारित पी0बी0ए0एस0 आवश्यकताओं पर आधारित ए0पी0आई0 के अधीन होगा ।

6.4.8 सह प्रोफेसर, जिन्होंने चौथे चरण में तीन वर्षों की सेवा पूर्ण की है और संबंधित विषय में पीएच0डी0 की डिग्री प्राप्त की है, वे प्रोफेसरके रूप में नियुक्ति और पदस्थापन के पात्र होंगे और उन्हें अगले उच्च संवर्ग (चरण–पाँच) में रखा जाएगा जोकि (क) इन विनियमों में निर्धारित परिशिष्ट–चार तालिका एक से तीन में दिए गए पी0बी0ए0एस0 प्रणाली के आधार पर ए0पी0आई0 के आधारित अपेक्षित क्रेडिट प्वाइन्ट को पूरा करता हो और (ख) जैसा कि प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए सुझाव दिया गया है, विधिवत गठित चयन समिति द्वारा मूल्याँकन को पूरा करता हो, बशर्ते पीएच0डी0 धारक शिक्षक के अलावा कोई अन्य शिक्षक को प्रोफेसर पद पर पदोन्नति या नियुक्ति नहीं दी जाएगी ।

6.4.9 कॉलेज में सह प्रोफेसर के मामले में सी0ए0एस0 के अंतर्गत प्रोफेसरके पद पर पदोन्नति इस विनियम के खण्ड 6.5.1 और 6.5.2 के अधीन होगा ।

6.4.10 विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों के दस प्रतिशत स्थान हेतु वे लोग हैं जिन्होंने प्रोफेसर के रूप में पूर्व संशोधित या संशोधित वेतनमान में कम से कम दस वर्ष की सेवा की, वे प्रोफेसर के उच्च संवर्ग (चरण–छह) में पदोन्नति के पात्र होंगे बशर्ते विधिवत गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा इन विनियमों में निर्धारित पीबीएस प्रणाली के माध्यम से तालिका–एक और दो में दिए गए आपेक्षित ए0पी0आई0 अंकों को पूरा करते हों और उच्च संवर्ग में पदोन्नत होने वाले ऐसे शिक्षक 'प्रोफेसर' के रूप में पदस्थापित किए जाते रहेंगे । जैसा कि प्रोफेसर के लिए यह ए0जी0पी0 मूल्याँकन केवल

विश्वविद्यालय के विभागों के लिए लागू है इसलिए अतिरिक्त साखपत्र के साथ निम्न साक्ष्य होना चाहिए:–

(क) उच्च स्तर का पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान;

(ख) अवार्ड / सम्मान / और पहचान;

(ग) अतिरिक्त अनुसंधान उपाधियाँ जैसे डी0एस0सी0, डी0लिट्0, एल0आई0डी0 आदि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिक्षक के मामले में उत्पादों का पेटेन्ट्स और आईपीआर एवं स्थापित प्रक्रिया / अंतरित की गई प्रौद्योगिकी ।

यह चयन विश्वविद्यालय द्वारा वरिष्ठता के आधार पर पात्र प्रोफेसरों द्वारा विधिवत भरे पीबीए प्रोफार्मा प्राप्त होने के बाद प्रत्येक संकाय में उपलब्ध संख्या का तीन गुना आवेदन के आधार पर किया जाएगा । यदि उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या उपलब्ध रिक्तियों के तीन गुने से कम है तो विचार का आधार वास्तव में उपलब्ध अभ्यर्थी होंगे। जैसाकि परिशिष्ट–चार की सारणी–दो (क) में निर्धारित है, विश्वविद्यालय के विभागों के शिक्षकों के लिए सभी प्रस्तुत साखपत्रों के मूल्याँकन की प्रक्रिया विशेषज्ञ समिति द्वारा की जाएगी । इस श्रेणी के लिए अलग से साक्षात्कार आवश्यक नहीं है ।

6.4.11 संकाय के शिक्षकों के वेतनमान और अन्य मेरिट आधारित कारकों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले में मेरिट के संदर्भ में प्रत्येक अभ्यर्थी से समझौता करते समय उन लोगों को अग्रिम वेतन वृद्धि देने का विवेकपूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय से संबंधित सक्षम प्राधिकारी या चयन समिति(यों) की सिफारिश के आधार पर भर्ती करने वाले संस्थान का होगा जो सह–प्रोफेसर या प्रोफेसर के पेशे में उच्च योग्यता, बड़ी संख्या में अनुसंधान प्रकाशन और सम्यक स्तर पर अनुभव रखते हैं । विवेक के आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि देना उन पर लागू नहीं होगा जो सहायक प्रोफेसर / सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष / सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षक और खेल–कूद और वे लोग जिन्होंने पीएच0डी0, एम0फिल0, एम0टेक0 आदि की डिग्री प्राप्त करने

पर अग्रिम वेतन वृद्धि मिलती है। तथापि, वे लोग जो सहायक प्रोफेसर/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा और खेल–कूद की सेवा में पीएच0डी0 के बाद पोस्ट डाक्टोरल शिक्षा/अनुसंधान अनुभव के साथ आए और तथा जिनका प्रमाणित प्रत्यय पत्र हो, वे अग्रिम वेतन वृद्धि विवेकपूर्ण अवार्ड के पात्र होंगे और इस संबंध में निर्णय को चयन समिति के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाए ।

6.5.0 स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर कॉलेजों में प्रोफेसर

6.5.1(i) किसी स्नातक पूर्व कॉलेज में सह प्रोफेसर के पदों की संख्या का दस प्रतिशत पद प्रोफेसरों का होगा जोकि विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के चयन/नियुक्ति के मानदंड के समान होगा ।

बशर्ते, एक विभाग में एक से ज्यादा प्रोफेसर नहीं होंगे;

बशर्ते, स्नातक पूर्व कॉलेज में प्रोफेसरों के पदों का एक चौथाई पद (25 प्रतिशत) पात्र शिक्षकों द्वारा सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जाएगी और शेष तीन चौथाई (75 प्रतिशत) प्रोफेसरों के पदों को स्नातक कॉलेज के संबधित विभाग के पात्र सह–प्रोफेसरों को सी0ए0एस0 पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा ।

शँका दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृति पदों में सीधी भर्ती और सी0ए0एस0 पदोन्नति दोनो के अंतर्गत स्वीकृत पद शामिल है ।

(ii) सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से स्नातक कॉलेज में प्रोफेसरों के पद को भरने की पहचान संबद्ध/संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज के परामर्श से किया जाएगा । जहाँ सह–प्रोफेसर के पदों के सी0ए0एरा0 पदोन्नति या सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के आधार पर संख्या के प्रतिशत के आधार पर प्रोफेसरके पदों की संख्या पूर्णांक में नहीं है तो इसे अगली संख्या के पूर्णांक में बदल दिया जाएगा ।

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा वरिष्ठता और उपलब्ध रिक्तियों की संख्या की तीन गुनी संख्या के आधार पर पात्र सह प्रोफेसरों से पीबीएस प्रोफार्मा प्राप्त करने के बाद चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी । यदि रिक्तियों की संख्या की तुलना में अभ्यर्थी तीन गुने से कम हैं तो चयन का दायरा उपलब्ध अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर होगा । चयन पी0बी0ए0एस0 प्रणाली के साथ ए0पी0आई0 अंक प्रणाली और प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए इन विनियमों में निर्धारित चयन प्रक्रियाके आधार पर की जाएगी । सीधी भर्ती के लिए 25 प्रतिशत पदों के लिए पदोन्नति सहित 'रोटा–कोटा' प्रणाली अपनाया जाएगा ।

6.5.2 स्नातकोत्तर कॉलेज के प्रत्येक विभाग में एक प्रोफेसरका पद होगा जोकि विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के चयन/नियुक्ति के मानदंड के अधीन होगा बशर्ते प्रोफेसरों के एक चौथाई पदों (25 प्रतिशत) पात्र शिक्षकों में से प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा और शेष तीन चौथाई (75 प्रतिशत) पदों को स्नातकोत्तर कॉलेज के संबंधित विभाग के पात्र सह–प्रोफेसरों में से मेरिट पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा । प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हेतु प्रोफेसर के पदों को स्नातकोत्तर कॉलेज. में चिन्हित करने का कार्य संबद्ध संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज के परामर्श से किया जाएगा। प्रोफेसर के पदों को सी0ए0एस0पदोन्नति या सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा, इसका निर्णय विश्वविद्यालय कॉलेज के परामर्श से लिया जाएगा। जहाँ सी0ए0एस0 पदोन्नति या सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के आधार पर किसी स्नातकोत्तर कॉलेज के कुछ पदों की संख्या के आधार पर प्रतिशत में निकाला गया है और यह पूर्णांक नहीं है तो यह अगली संख्या का पूर्णांक होगा ।

विश्वविद्यालय द्वारा चयन प्रक्रिया, पात्र सह–प्रोफेसर की वरिष्ठता और उपलब्ध रिक्ति की तीन गुनी संख्या के आधार पर पी0बी0ए0एस0 प्रोफार्मा प्राप्त करने के बाद की जाएगी। यदि उपलब्ध रिक्ति तीन गुनी संख्या से कम है तो वास्तविक उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर विचार किया जाएगा । चयन पी0बी0ए0एस0

प्रणाली के साथ ए0पी0आई0 अंक प्रणाली और प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए इन विनियमों में निर्धारित चयन प्रक्रियाके आधार पर की जाएगी । सीधी भर्ती के लिए 25 प्रतिशत पदों हेतु पदोन्नति सहित 'रोटा–कोटा' प्रणाली अपनायी जाएगी और सीधी भर्ती कोटा वर्णक्रमानुसार चलेगी ।

6.6.0 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष आदि के लिए वृत्ति उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति के चरण

6.6.1 प्रवेश के स्तर पर विश्वविद्यालय/कॉलेज के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जिन्होंने पुस्तकालय विभाग में पीएच0डी0 की है, निम्न संवर्ग में चार वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद, यदि अन्यथा वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन विनियमों में निर्धारित ए0पी0आई0 अंक प्रणाली और पी0बी0ए0एस0 पद्धति के अनुसार पात्र हैं, तो वे अगले उच्च्य संवर्ग (चरण–दो) के पात्र होंगे ।

6.6.2 प्रवेश के स्तर पर सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज के पुस्तकालयाध्यक्ष, जिन्होंने पुस्तकाल विषये में पीएच0डी0 नहीं की है, निम्न संवर्ग में पाँच वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद, यदि अन्यथा वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन विनियमों में निर्धारित ए0पी0आई0 अंक प्रणाली और पी0बी0ए0एस0 पद्धति के अनुसार पात्र हैं, तो वे अगले संवर्ग (चरण–दो) के पात्र होंगे ।

6.6.3 प्रवेश के स्तर पर सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज के पुस्तकालयाध्यक्ष, जिन्होंने संबंधित विषयो में पीएच0डी0 या एम0फिल0 नहीं की है, निम्न संवर्ग में छह वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद, यदि अन्यथा वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन विनियमों में निर्धारित ए0पी0आई0 अंक प्रणाली और पी0बी0ए0एस0 पद्धति के अनुसार पात्र हैं, तो वे अगले संवर्ग (चरण–तीन) के पात्र होंगे ।

6.6.4 पाँच वर्षों की सेवा पूर्ण करने के बाद सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान)/कॉलेज के पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ वेतनमान) उप–पुस्तकालयाध्यक्ष/समान पदो के योग्य और अगले संवर्ग (चरण–तीन) में रखे जाएँगे बशर्ते वे इन विनियमों में सी0ए0एस0पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा

निर्धारित पी0बी0ए0एस0 पद्धति के आधार पर ए0पी0आई0 अंक प्रणाली की पात्रता की अन्य शर्तें (जैसे उप–पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए पीएच0डी0 आदि) पूरी करते हों । उन्हें उप–पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन संवर्ग)/कॉलेज के पुस्तकालयाध्यक्ष (चयन संवर्ग), जैसी स्थिति हो, के रूप में पदस्थापित किया जाएगा ।

6.6.5 उक्त संवर्ग में तीन वर्ष पूरा करने के बाद उप पुस्तकालयाध्यक्ष/ समान पद अगले संवर्ग (चरण–चार) में जाएँगे जोकि इन विनियमों में सी0ए0एस0पदोन्नति के लिए वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित पी0बी0ए0एस0 पद्धति के आधार पर ए0पी0आई0 अंक प्रणाली की अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा ।

6.7.0 शारीरिक शिक्षा और खेल–कूद से संबंधित कर्मियों हेतु वृत्ति उन्नति योजना के अंतर्गत पदोन्नति के चरण

6.7.1 प्रवेश के स्तर पर सहायक डी0पी0ई0 एण्ड एस0/कॉलेज के डी0पी0ई0 एण्ड एस0 जिन्होंने शारीरिक शिक्षा में पीएच0डी0 की डिग्री ली है, प्रवेश के स्तर पर (चरण–एक) चार वर्ष पूरा करने के बाद, वे अगले उच्च संवर्ग (चरण–दो) के लिए पात्र होंगे यदि वे अन्यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सी0ए0एस0पदोन्नति के इन विनियमों में निर्धारित पी0बी0ए0एस0 पद्धति और ए0पी0आई0 अंक प्रणाली के पात्र होते हैं ।

6.7.2 प्रवेश के स्तर पर सहायक डी0पी0ई0 एण्ड एस00/कॉलेज के डी0पी0ई0 एण्ड एस00 जिन्होंने शारीरिक शिक्षा में एम.फिल. किया है, वे प्रवेश के स्तर पर पाँच वर्ष पूरा करने के बाद और यदि वे अन्यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सी0ए0एस0 पदोन्नति के इन विनियमों में निर्धारित पीपवीएएस पद्धति और ए0पी0आई0 अंक प्रणाली के अनुसार पात्र है, तो वे अगले उच्च संवर्ग (चरण–दो) में जाने के पात्र होंगे ।

6.7.3 प्रवेश के स्तर पर संबधित विषय में पीएच0डी0 और एम.फिल. धारी सहायक डी0पी0ई0 एण्ड एस0/कॉलेज के डी0पी0ई0 एण्ड एस0 उक्त स्तर पर सहायक

डी0पी0ई0 एण्ड एस0/कॉलेज के डी0पी0ई0 एण्ड एस0 के साथ छह वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद अगले उच्च संवर्ग (चरण–दो) के लिए पात्र होंगे यदि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सी0ए0एस0 पदोन्नति के इन विनियमों में निर्धारित पी0बी0ए0एस0 पद्धति और ए0पी0आई0 अंक प्रणाली के पात्र होते हैं ।

6.7.4 दूसरे चरण में पाँच वर्ष की पूर्ण करने के बाद और ए0पी0आई0 अंक प्रणाली तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनियमों में निर्धारित पी0बी0ए0एस0 पद्धति के अध्यधीन सहायक डी0पी0ई0 एण्ड एस00 (वरिष्ठ वेतनमान)/कॉलेज के डी0पी0ई0 एण्ड एस00 (वरिष्ठ वेतनमान) के अगले उच्च वर्ग (चरण–तीन) में पदोन्नत किया जाएगा । उन्हें उप डी0पी0ई0 एण्ड एस0/सहायक डी0पी0ई0 एण्ड एस0 (चयन संवर्ग)/कॉलेज के डी0पी0ई0 एण्ड एस0 (चयन संवर्ग) जैसी स्थिति हो, में पदस्थापित किया जाएगा ।

6.7.5 तीसरे चरण में तीन वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन विनियमों में निर्धारित ए0पी0आई0 अंक प्रणाली और पी0बी0ए0एस0 पद्धति को पूरा करने के अधीन उप डी0पी0ई0 एण्ड एस0/सहायक डी0पी0ई0 एण्ड एस0 (चयन संवर्ग)/कॉलेज के डी0पी0ई0 एण्ड एस0 (चयन संवर्ग) अगले उच्च संवर्ग (चरण–चार) में जाएँगे । उन्हें उप डी0पी0ई0 एण्ड एस0/सहायक डी0पी0ई0 एण्ड एस0 (चयन संवर्ग)/कॉलेज के डी0पी0ई0 एण्ड एस0 (चयन संवर्ग) के रूप में पदस्थापित किया जाएगा ।

6.8.0 इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची पदधारी और नव नियुक्त शिक्षक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उसके अधीनस्थ कॉलेजों में पुस्तकालय, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में समान पदों का सी0ए0एस0के अंतर्गत वेतनमान, पदनाम और पदोन्नति के चरणों को रेखाँकित करता है एवं उन संस्थानों को मानद–विश्वविद्यालय माना जाएगा जिसका अनुरक्षण व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है ।

7.0.0 विश्वविद्यालयों के सम–कुलपति/कुलपति का चयनः

7.1.0 सम–कुलपतिः

सम–कुलपति विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक प्रोफेसरहोंगे और उनकी नियुक्ति कुलपति की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद् द्वारा की जाएगी ।

7.2.0 सम कुलपति एक अवधि के लिए पद को धारण करेंगे जो कि कुलपति के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा । तथापि, कुलपति का यह विशेषाधिकार होगा कि वे अपने कार्यकाल के दौरान एक नए सम–कुलपति के लिए कार्यकारी परिषद् से अनुमोदन करे । सम–कुलपति के चयन के इन विनियमों को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने अधिनियम/संविधि में संशोधन के माध्यम से अंगीकार किया जाएगा ।

7.3.0 कुलपति

1. उच्च स्तर की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्थान के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्तियों को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा । कुलपति के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को अकादमीविद होना चाहिए और जिनके पास किसी विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसरके रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव या समान पद पर किसी ख्याति प्राप्त अनुसंधान और/या अकादमिक प्रशासनिक संगठन में दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।

2. कुलपति का चयन सार्वजनिक अधिसूचना या नामाँकन या मेधां खोज प्रक्रियाया इनके मिलकर खोज समिति द्वारा उसे 3–5 नामों के पैनल द्वारा सम्यक् खोज के माध्यम से किया जाएगा। उक्त खोज समिति के सदस्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोग होंगे और किसी भी तरीके से संबंधित विश्वविद्यालय या इसके कॉलेज से संबंधित नहीं होंगे । पैनल तैयार करते समय खोज समिति अकादमिक उत्कृष्टता, देश और विदेश की उच्च शिक्षा प्रणाली में योगदान को उचित वेटेज देना होगा तथा अकादमिक तथा प्रशासनिक शाखा के समुचित अनुभव को लिखित में देय होगा और इसे पैनल के साथ दर्शक/राज्यपाल को

प्रस्तुत करना होगा । राज्य और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में खोज समिति का गठन निम्नलिखित रूप में होगा :–

क) कुलपति / कुलाध्यक्ष का नामिती जो समिति के अध्यक्ष होंगे ।

ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के एक नामिती ।

ग) विश्वविद्यालय के सिंडीकेट / कार्यकारी परिषद् / प्रबंध समिति के नामिती ।

3. दर्शक / राज्यपाल खोज समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल में से कुलपति की नियुक्ति करेंगे ।

4. कुलपति की सेवा शर्तें इन विनियमों अनुरूपता के साथ संबंधित विश्वविद्यालय के संविधि में निर्धारित होगी ।

5. कुलपति का कार्यकाल पदधारी की सेवावधि का हिस्सा होगा और उसे सेवा से संबंधित सभी लाभ मिलेंगे।

7.4.0 विश्वविद्यालय / राज्य सरकारें इन विनियमों को अंगीकार करने के छह महीने के भीतर विश्वविद्यालय के संगत अधिनियम संविधियों में परिवर्तन या संशोधन करेंगे ।

8.0 ड्यूटी अवकाश, अध्ययन अवकाश विराम अवकाश

8.1 ड्यूटी अवकाश

1. निम्नलिखित को एक अकादमिक वर्ष में अधिकतम 30 दिनों का ड्यूटी अवकाश मिलेगा;

(क) विश्वविद्यालय की ओर से या विश्वविद्यालय की अनुमति से सम्मेलन, सभा, संगोष्ठी ओर सम्मेलन में भाग लेने के लिए;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे संस्थानों या विश्वविद्यालयों द्वारा उस संस्थान या विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए निमंत्रण मिलने और कुलपति द्वारा अपनी स्वीकृति मिलने पर;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय, किसी अन्य एजेन्सी, संस्थान या संगठन में कार्य करने पर;

(घ) किसी शिष्टमंडल अथवा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, किसी निकटस्थ विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य अकादमिक निकाय द्वारा नियुक्त किसी समिति में कार्य करना; और

(ड़) विश्वविद्यालय के लिए किसी अन्य कर्तव्य का निर्वहन करना ।

2. छुट्टी की अवधि ऐसी होनी चाहिए जैसी कि प्रत्येक अवसर पर स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाए ।

(4) छुट्टी पूरे वेतन पर दी जाए बशर्ते कि यदि अध्यापक को कोई अध्येतावृत्ति अथवा मानदेय अथवा सामान्य व्ययों के लिए आवश्यक धनराशि से अधिक कोई अन्य वित्तीय सहायता मिलती हो, उसको वेतन एवं भत्तों में कटौती करके ड्यूटी लीव स्वीकृत की जाए ।

(5) ड्यूटी लीव को अर्जित छुट्टी, अर्द्ध–वेतन छुट्टी अथवा असाधारण छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है ।

(6) ड्यूटी लीव यू0जी0सी0, डीएसटी इत्यादि जहाँ किसी अध्यापक को अकादमिक निकायों, सरकारी अथवा एनजीओ के साथ विशेषज्ञता का आदान प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, की बैठकों में भाग लेने के लिए भी ड्यूटी लीव दी जानी चाहिए ।

8.2 अध्ययन अवकाश:

(1) अध्ययन अवकाश सेवा में प्रविष्टि स्तर पर नियुक्ति पाने वालों जैसे सहायक प्रोफेसर/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशक और खेलों/महाविद्यालयों के डी.पी.ई. को तीन वर्ष की अनवरत सेवा के बाद विश्वविद्यालय में उसके कार्य से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित अध्ययन अथवा अनुसंधान के

विशेष क्षेत्र की पढ़ाई करने अथवा विश्वविद्यालय संगठन और शिक्षा की प्रविधियों का अध्ययन करने के लिए स्वीकृत किया जा सकता है ।

(2) इस खण्ड 8.2 में अंन्तर्विष्ट निबन्धनों के अधीन सेवा में रहते हुए किसी संगत विषय में पीएच0डी0 की डिग्री प्राप्त करने के लिए वेतन सहित अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के मामले में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्यापकों और अन्य संवर्गों के लिए रिक्त पदों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रविष्टि के बाद लगाए जाने वाले वर्षों की संख्या न्यूनतम दो वर्ष अथवा संबंधित विश्वविद्यालयों की संविधियों में निर्दिष्ट परिवीक्षा के वर्षों जितनी होगी ताकि कोई भी अध्यापक और अन्य संवर्ग के सदस्यों जो बिना पीएच0डी0 अथवा उच्चतर योग्यता की सेवा में भर्ती हो जाते हैं, को ये योग्यताएँ अपने संबंधित विषयों में कैरियर के बहुत बाद की अवस्था में प्राप्त करने के बजाय शीघ्रताशीघ्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके ।

(3) अध्ययन अवकाश की वेतन सहित अवधि तीन वर्ष की होनी चाहिए लेकिन पहले दो वर्ष दिए जाएँ और यदि अनुसंधान मार्गदर्शक (गाईड) द्वारा पर्याप्त प्रगति होने की रिपोर्ट दी जाती है तो इसे एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है । इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि अध्ययन अवकाश पर भेजे गए अध्यापकों की संख्या किसी विभाग में अध्यापकों की निर्धारित प्रतिशत से अधिक न हो जाए बशर्ते कि कार्यकारी परिषद्/सिंडीकेट किसी मामले की विशेष परिस्थितियों में दो वर्षों की अनवरत सेवा की शर्त में छूट प्रदान कर दे ।

स्पष्टीकरणः— सेवा की दीर्घता की गणना करने में उस समय जिसके दौरान कोई व्यक्ति परिवीक्षा पर था अथवा उसे अनुसंधान सहायक लगाया गया था, की भी गणना की जाए बशर्तेः—

(क) आवेदन की तिथि के दिन व्यक्ति अध्यापक है;

(ख) सेवा में कोई अन्तराल नहीं है; और

(ग) अवकाश का अनुरोध पीएच0डी0 अनुसन्धान कार्य करने के लिए किया गया है ।

(4) अध्ययन अवकाश संबंधित विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद्/सिंडीकेट द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। अवकाश एक बार में तीन वर्ष से अधिक का बहुत अधिक अपवाद के मामलों में जिनमें कार्यकारी परिषद्/सिंडीकेट इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार का विस्तार अकादमिक कारणों से अपरिहार्य और विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक है, को छोड़कर स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

(5) अध्ययन अवकाश ऐसे अध्यापक को नहीं दिया जाएगा जो उस तिथि जिस में उसके अध्ययन अवकाश की समाप्ति के बाद ड्यूटी पर लौट आने की संभावना है, के पाँच वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होने वाला है ।

(6) अध्ययन अवकाश किसी भी व्यक्ति को उसके सेवा काल में दो बार से अधिक नहीं दिया जाए बशर्ते कि किसी भी परिस्थिति में समूचे सेवाकाल के दौरान अधिकतम स्वीकार्य अध्ययन अवकाश पाँच वर्षों से अधिक न हो ।

(7) कोई भी अध्यापक जिसको अध्ययन अवकाश दिया गया है, को कार्यकारी परिषद्/सिंडीकेट की पूर्वानुमति के बिना अध्ययन के पाठ्यक्रम अथवा अनुसंधान के कार्यक्रम में कोई भारी परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । स्वीकृत अध्ययन अवकाश से कम अवधि में ही अध्ययन का पाठ्यक्रम पूरा हो जाने की स्थिति में अध्यापक अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम के पूरा होते ही तुरन्त अपनी ड्यूटी पर आ जाएगा जब तक कि उसने अध्ययन अवकाश की इस शेष अवधि को सामान्य छुट्टी के रूप में माने जाने का पूर्वानुमोदन कार्यकारी परिषद्/सिंडीकेट से न ले लिया हो ।

(8) निम्नलिखित उप–खण्ड (नौ) के उपबन्धों के अधीन अध्ययन अवकाश पूर्ण वेतन सहित दो वर्ष तक दिया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय के विवेक पर एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है ।

(9) अध्येतावृत्ति, फेलोशिप अथवा कोई अन्य वित्तीय सहायता की धनराशि जो अध्ययन अवकाश पर भेजे गए शिक्षक को दी जाती है, वह उस शिक्षक/शिक्षिका को अध्ययन अवकाश वेतन एवं भत्तों सहित प्रदान करने के आड़े नहीं आएगी लेकिन इस प्रकार प्राप्त अध्येतावृत्ति इत्यादि वेतन एवं भत्तों जिन पर अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है, का